नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2010 से 03/2013

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न वर्णित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा में तैनात थे :–

<u>प्रधान</u> :–

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती कुसुम देवी	01.04.10 से 31.12.10
2	श्रीमती अनिता ठाकुर	01.01.11 से 31.03.13

<u>कार्यकारी अधिकारी</u> :–

1	तहसीलदार चम्बा	01.04.10 से 31.5.10
2	श्री विनय कौशल, तहसीलदार चम्बा	1.6.10 से 22.8.10
3	श्री श्रीकान्त, तहसीलदार चम्बा	23.8.10 से 30.9.10
4	श्री विनय कौशल, तहसीलदार चम्बा	1.10.10 से 28.2.11
5	श्री श्रीकान्त, तहसीलदार चम्बा	1.3.11 से 31.3.11
6	श्रीमती राखी कौशल	1.4.11 से 29.5.11

7	श्री एम0डी0 शर्मा	30.5.11 से 21.2.12
8	श्री के0आर0 ठाकुर	22.2.12 से 19.3.13
9	श्रीमती राखी कौशल	20.3.13 से 31.3.13

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	7	अग्रिम धन राशियों का समायोजन न करना	9.76
2	9 (1)	गृह कर की बकाया राशि की वसूली योग्य शेष	55.49
3	9 (2) (I)	नगर परिषद के भवनों, दुकानों व अन्य परिसरों के किराए की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	52.02
4	9 (2) (II)	अनुबन्ध की शर्त के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का किराया न बढ़ाने के फलस्वरूप वित्तीय हानि।	7.37
5	9 (2) (V)	दुकानों के किराए की राशि को नगर परिषद के खाते में जमा न करके संदिग्ध गबन	3.54
6	9 (2) (VII)	दुकानों के किराए की बकाया राशि कम अग्रेषित करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	0.73
7	9 (4) (II, III)	वर्ष 2011–12 व 2012–13 में तहबाजारी की कम वसूली करना	0.74
8	9 (VIII)	मैसर्ज डी0के0एण्ड क0 से नगर परिषद के जन्ज घर की नीलामी के एवज में वसूली योग्य राशि	26.46
9	10 (12)	28 बैंचों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारे	2.51
10	10 (21)	Segregation of Solid waste Management पर अपव्यय	9.44
11	11 (1)	नगर परिषद अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (1) (C) की अवहेलना कर स्थापना पर अधिक व्यय	43.57
12	11 (5)	वेतन के रूप में कर्मचारियों को अधिक भुगतान	2.78
13	12 (1)	दिनांक 01.01.06 से संशोधित पैन्शन के रूप में	3.15

		अधिक भुगतान	
14	12 (4)	Enhanced Family pension के रूप में अधिक भुगतान	0.98

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'अ''** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं अवधि 01.04.10 से 31.03.13 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री पंकज भाटिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2014 से 04.04.14 तक के दौरान नगर परिषद के कार्यालय में सम्पन्न किया गया, जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार माहों का चयन किया गया।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2010–11	03/2011	07/2010
2	2011–12	03/2012	10/2011
3	2012–13	05/2012	02/2013

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माहों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹47500/— आंका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी0/चम्बा/2014/261 दिनांक 03.04.14 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा अंकेक्षण शुल्क ₹47500/— का बैंक ड्राफ्ट संख्या 565893 दिनांक 9.4.14 शाखा भारतीय स्टेट बैंक, चम्बा बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :—

नगर परिषद चम्बा अवधि 04/10 से 03/13 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

(क) मुख्य रोकड़ बहीः— (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 1—4)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अपने साधनों से आय	अनुदान राशि	अन्य	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2010—11	3731873.26	7017457	30145567	6090589	46985486	32308778	14676708.26
2011—12	14676708.26	6845972.24	38731170	4694668	64948518.5	34263330.93	30685187.57
2012—13	30685187.57	9155618	49200632	3101221	92142658.57	47833327	44309331.57

Bank Reconciliation Statement on 31-03-13

Particulars	**Dr.**	**Cr.**
Balance as per cash Book	44309331.57	
Cheques issued but not presented for payment:		
(I) Cheque No. 812185 dt 28.02.13	2470112	
(II) Cheque No. 812196 dt 02.03.13	25	-
(III) Cheque No. 372766 dt. 02.03.13	88	
Cheque sent to bank but not credited		

(I) Cheque No. 000018 dt 30.03.13	_	10000
(II) Cheque No. 426257 dt 30.3.13	_	10000
(III) Cheque No. 324491 dt. 30.313	_	10000
(IV) Cheque No. 448093 dt 25.3.13	_	1272639
Excess credit by the bank	17	
Balance as per Pass Book		45476934.57
Total	**46779573.57**	**46779573.57**

Balance as per Pass Book (General Account)

Sr. No.	**Bank & A/C No.**	**Amount**
1	SBI A/C No. 30986744343 Chamba	14389311
2	SBI Chamba A/C No. 11149814908	31087623.57
	Total	**45476934.57**

(i) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007–08 से 2009–10 के **परिशिष्ट "ज्ञ"** में दिनांक 31.3.10 को अन्तिम शेष ₹12074248.93 दर्शाया गया था जबकि दिनांक 01.04.2010 को रोकड़ बही में प्रारम्भिक शेष ₹3731873.26 लिया गया था अर्थात ₹8342375.67 की राशि कम दर्शाई गई थी जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 27.1.14 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या न0प0 चम्बा 3021 दिनांक 25.1.14 द्वारा सूचित किया गया कि ₹4336841/– की राशि का निवेश सावधि जमा के रूप में किया गया था एवं यह राशि दिनांक 01.04.2010 को प्रारम्भिक शेष में शामिल नहीं की गई थी उक्त नियमित राशि को प्रारम्भिक शेष में न दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं **परिशिष्ट "क"** के पृष्ठ 5 में सावधि जमा का ब्यौरा संलग्न है लेकिन ₹4005534.67 (8342375.67–4336841) की राशि कम दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई यह अनियमित है। अतः दिनांक 01.04.10 को ₹4005534.67 कम लेने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) जाँच में पाया कि दिनाँक 31.3.13 को बैंक खातों में ₹45476934.57 बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी यदि इस राशि का कुछ भाग समय समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सकती थी जिसका उपयोग नगर परिषद के कल्याण कार्यों के लिए किया जा सकता था। अतः उपरोक्त सारी राशि को बचत खाते में रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य

में आवश्यकता से अधिक राशि को सावधि जमा के रूप में निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें एवं सावधि जमा में निवेशित राशि को पूर्व की भांति रोकड़ बही की राशि से न घटाया जाए।

(ख) IDSMT रोकड़ बही (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 6–9)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	1520088	804531	22944	2347563	345763	2001800
2011–12	2001800	0	46969	2048769	56000	1992769
2012–13	1992769	372000	52909	2417678	0	2417678
	Balance as per cash Book on 31.3.13					2417678
	Balance as per Pass Book on 31.3.13					2620963

Sr. No.	Bank & A/C No.	Amount
1	PNB saving A/C No. 1420000103057184	1639432
2	Central Bank of India A/C No. 2173081658	981531
	Total	**2620963**

Bank Reconciliation Statement on 31.3.13

Particulars	Dr.	Cr.
Balance as per Cash Book	2417678	-
₹8000 drawn from A/C No. 1420000103057184 on 11.12.10 but not entered in cash Book	-	8000
₹55 drawn from A/C No. 1420000103057184 on 21.12.10 but nor entered in cash book	-	55
₹819 drawn for AC No. 2173081658 on 15.10.10 but not entered in cash Book	-	819

Amount deposited in bank but not entered in cash Book		
1 ₹100000 on 9.4.10	125000	-
2 ₹25000 on 12,1,12		
Interest credited by book but not in cahs book		
1 ₹15223 on 23.11.10	15223	
2 ₹15777 on 31.5.11	15777	
3 ₹18057 on 30.11.11	18057	
4 ₹18805 on 31.5.12	18805	
5 ₹19297 on 30.11.12	19297	
Balance as per Pass Book	-	2620963
	2629837	**2629837**

(i) जाँच के दौरान पाया कि उपरोक्त रोकड़ बही HPFR 1971 Vol-I के नियम 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी अर्थात महीने के अन्त में रोकड़ बही में शेष राशि एवं प्रविष्टियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 तक नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था जिस कारण से रोकड़ बही में गलतियों की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 27.1.14 द्वारा सूचित किया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः भविष्य में उपरोक्त नियम के अनुसार रोकड़ बही को तैयार करना सुनिश्चित करें।

(ii) IDSMT की रोकड़ बही के आय पक्ष में प्राप्त राशि के सम्बन्ध में जी–8/रसीद संख्या नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में आय के स्त्रोत का पता नहीं चल सका कि राशि कहां से प्राप्त की गई थी। अतः भविष्य में प्राप्त राशि की जी–8/रसीद संख्या रोकड़ बही में दर्शाना सुनिश्चित करें।

(iii) जाँच में पाया कि बैंक खाता संख्या 1420000103057184 से दिनांक 11.12.10 एवं 21.12.10 को ₹8055/– आहरित किये गये थे लेकिन रोकड़ बही में इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इसके वाऊचर/अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि राशि का आहरण करके इसका दुरूपयोग किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(iv) बैंक खाता संख्या 2173081658 से दिनांक 15.10.10 को ₹819/– की राशि आहरित की गई थी लेकिन रोकड़ वही में इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरूपयोग किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(v) दिनांक 9.4.10 से IDSMT बैंक खाते में ₹100000/– एवं दिनांक 12.01.12 को ₹25000/– जमा करवाये गये थे लेकिन रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिससे इस आय के स्त्रोत का पता नहीं चल सका। अतः इसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें।

(ग) SJSRY रोकड़ बही (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 10–13)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	379360	100000	14097	493457	0	493457
2011–12	493457	0	19367	512824	37500	475324
2012–13	457324	2470112	18052	2963488	107400	2856088
	Balance as per Cash Book on 31.03.13					2856088
	Balance as per Pass Book on 31.3.13					397179
	(PNB) Saving A/C No. 1420000100112787					

Bank Reconciliation Statement on 31.3.13

Particulars	Dr.	Cr.
Balance as per Cash Book	2856088	
₹6000/- paid but not entered on cash book	-	6000
Cheques issued but not presented for payment		
1 Ch. No. 252326 dt, 4.8.2000	600	
2 Ch. No 253518 dt 25.5.01	293	
3 Ch. No 253519 dt. 25.5.01	293	
4 Ch. No 253520 dt. 22.6.01	1930	

5 Ch. No252380 dt. 12.1.01	300	
6 Ch. No 951529 dt. 01.06.09	129	
7 Ch. No 951540 dt. 01.06.09	285	
8 Ch. No951542 dt. 01.06.09	69	
9 Ch. No 951543 dt. 01.06.09	96	
10 Ch. No951524 dt. 01.6.09	363	
Interest Credit by the bank but not entered in cash book		
Interest on 4.3.09 ₹8285		
Interest on 3.9.09 ₹8252		
Interest on 2.3.10 ₹7896	24433	-
Amount drawn from bank but not entered in cash Book		
On 10-7-11 ₹3200		
On 21-2-11 ₹8268	-	11468
Bank Charges charged by bank on 09.7.12	-	120
Cheque No. 812185 dt. 28.02.13 deposited in bank but credited on 09.5.13	-	2470112
Balance as per Pass Book	-	397179
Total	**2884879**	**2884879**

(i) बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया कि ₹4358/– के 10 चैक दिनांक 4.8.2000 से दिनांक 22.6.09 तक भुगतान हेतु जारी किये गये थे लेकिन आज तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। उपरोक्त सभी चैक कालातीत हो चुके है। अतः इस राशि को रोकड़ बही की आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ताकि बार–2 बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो।

(ii) दिनांक 21.2.11 एवं 10.7.11 को क्रमशः ₹8268/–एवं ₹3200/– की राशि का आहरण किया गया था लेकिन रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी और न ही आहरण का उद्देश्य दिया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरूपयोग किया गया था अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(iii) जाँच में पाया कि उपरोक्त रोकड़ बही HPFR 1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी और न ही वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। अतः इसे अब सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित करें।

(घ) Deposit work की रोकड़ बही (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 14–17)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	3918140	9543273	144397	13605810	7798685	5807125
2011–12	5807125	2318910	198050	8324085	3186231	5137854
2012–13	5137854	1248190	180809	6566853	1695217	4871636
		Balance as per cash book on 31-3-13				₹4871636
		Balance as per Pass Book on 31-3-13				₹3847298-36
		(Bank A/C No. 11149814089)				

Bank Reconciliation statement on 31.3.13

Particulars	**Dr.**	**Cr.**
Balance as per Cash Book	4871636	-
Grant receired for D.C. Chamba for deposit work but deposited in main pass book instead of deposit work Pass work		1024000
Pass work balance on 31.3.10, ₹3917802.36		
Cash Book Balance on 31.3.10, ₹3918140		
Diff. 337.64 (Not Reconciled)	-	337.64
Balance as per Pass Book		3847298.36
Total	**4871636**	**4871636**

(i) जाँच में पाया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007–08 से 2009–10 के **परिशिष्ट "ज्ञ"** में दिनांक 31.3.10 को ₹3594045/– दर्शाया गया था जबकि दिनांक 1.4.10 को रोकड़ बही में

प्रारम्भिक शेष ₹3918140/– लिया गया था इस बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 206 दिनांक 31.1.14 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई यह अनियमित है। इस बारे अब पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

(ii) जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में कार्यकारी अधिकारी द्वारा रोकड़ बही नियमों के अनुसार एक बार भी सत्यापित नहीं की गई थी और न ही कभी रोकड़ बही का मिलान बैंक पास बुक के साथ किया गया था जिस कारण से दिनांक 31.3.10 को ₹337.64 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर के कारण से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

(ङ) NRY/HUDCO की रोकड़ बहीः– (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 18–21)

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2010–11	180953.50	0	6390	187343.50	0	187343.50
2011–12	187343.50	0	7507	194850.50	0	194850.50
2012–13	194850.50	0	7872	202722.50	0	202722.50
	Balance as per Cash Book on 31.03.13					₹202722.50
	Balance as per Pass Book on 31.3.13					
	HPSCB Chamba A/C No. 4913					84272.50
	HPSCB Chamba A/C No. 2268					118450
		Total				**202722.50**
		Difference				शून्य

(i) जाँच में पाया कि उपरोक्त रोकड़ बही HPFR 1971 Vol-I के नियम 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी एवं न ही वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित

किया गया था। अतः नियमों के अनुरूप रोकड़ बही तैयार न करने एवं नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अब इसे सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(च) पैन्शन की रोकड़ बहीः— (परिशिष्ट "क" पृष्ठ 22—25)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2010—11	7998	3348314	1333	3357645	3274082	83563
2011—12	83563	4788243	3262	4875068	4866862	8206
2012—13	8206	4904058	2651	4914915	4915278	— 363

Balance as per Cash Book on 31.03.13 ₹ (–) 363

Balance as per Pass Book on 31.3.13 ₹22050

(PNB A/C No. 1420000100119337)

Bank Reconciliation Statement on 31.3.13

Particulars	**Dr.**	**Cr.**
Credit balance as per cash Book	-	363
Cheque issued but not presented for payment		
(1) Cheque No. 234 dt. 11/2010 ₹2000		
(2) Cheque No. 234 dt. 12/2010, ₹2000		
(3) Cheque No. 234 dt. 01/2011, ₹2000		
(4) Cheque No. 942, 943, 944 & 945 dated 03/2013 (₹3563 each) Total ₹14252	20252	
Amount deposited in bank on 08.09.2012 but not entered in cash book	2401	
Bank charges charged by bank	-	240
Balance as per Pass Book	-	22050
Total	**22653**	**22653**

(i) जाँच में पाया कि वर्ष 2010 एवं 2011 में ₹6000/– के चैक भुगतान हेतु जारी किए गये थे जो कि समय पर बैंक में प्रस्तुत न करने के कारण कालातीत हो चुके है। अतः इन चैकों के भुगतान की जानकारी बैंक से लेकर इन्हें आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ताकि बैंक समाधान विवरणी में बार–2 प्रदर्शित न हो।

(ii) जाँच में पाया कि पैन्शन की रोकड़ बही HPFR-1971 Vol-1 के नियम 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी एवं न ही वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 तक नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित की करवाई गई थी इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 27.1.14 द्वारा दी गई थी लेकिन अंकेक्षण के समापन तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अतः रोकड़ बही को नियमों के अनुसार ही तैयार करना सुनिश्चित करें।

(छ) Solid Waste Management की रोकड़ बहीः–

जाँच में पाया कि Solid Waste Management की रोकड़ बही दिनांक 31.3.09 के पश्चात भरी नहीं गई थी अर्थात दिनांक 01.04.09 से 31.3.13 तक कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी एवं न ही रोकड़ बही नियमों के अनुसार तैयार की गई थी। इस अनियमितता की सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204 दिनांक 27.1.14 द्वारा दी गई थी परन्तु इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

दिनांक 31.3.09 को रोकड़ बही एवं पास बुक के अन्तिम शेष इस प्रकार थेः–

Cash Book Balance on 31.3.09	₹8702
Pass Book balance on 31.3.09	₹8702
(A/C No. 13001010875)	

अंकेक्षण के दौरान बैंक पास बुक की प्रविष्टियाँ करवाई गई तो दिनांक 28.8.13 को ₹4374/– पाये गये जबकि दिनांक 1.4.09 से 28.8.13 के बीच की प्रविष्टियाँ बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान राशि का दुरूपयोग किया गया था एवं इस अवधि के आय–व्यय के दस्तावेज व प्रविष्टियाँ अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः दिनांक 1.4.09 से 31.3.13 तक की प्रविष्टियाँ अब की जाए एवं वाऊचरों को आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए एवं रोकड़ बही को नियमों के अनुसार तैयार करके नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ज) उपदानः–

जाँच में पाया कि उपदान के लिए अलग से भारतीय स्टेट बैंक चम्बा में बचत खाता खोला गया था एवं उपदान की आय–व्यय का लेखा–जोखा इसी खाते से किया जाता है लेकिन इसकी रोकड़ बही अलग से नहीं रखी गई थी जिसके अभाव में इस खाते की आय व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपदान खाते की रोकड़ बही तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में इसकी अलग से रोकड़ बही खोलना सुनिश्चित करें ताकि उपदान की राशि वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो सके। दिनांक 31.3.13 को ग्रेच्युटी खाते में राशि का विवरण इस प्रकार थाः–

उपदान खाता संख्या 31782536868 एस0बी0आई0 चम्बा

Balance on 31.03.13 ₹893211

5 (i) सामान्य भविष्य निधिः–

जाँच के दौरान पाया कि सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी जिस कारण से सामान्य भविष्य निधि खाते की सही वित्तीय स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही शीघ्र अतिशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें। सामान्य भविष्य निधि का बैंक में दिनांक 31.3.13 को अन्तिम शेष इस प्रकार थाः–

(i) बचत खाते में शेषः–

Balance as per Pass Book on 31.3.13 ₹1851719.75

Bank A/C No. 11149813891, SBI Chamba

(ii) सावधि जमा में निवेशः–

(a) FDR No. 2173053336, SBI Chamba ₹1272884

(b) FDR No. 2173053347, SBI Chamba ₹1272884

उपरोक्त निवेश का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है।

(ii) अंशदायी भविष्य निधिः–

अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी जिस कारण से इसके आय–व्यय की प्रविष्टियों की जाँच नहीं की जा सकी एवं सही वित्तीय स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः भविष्य में आय–व्यय को लेखा–जोखा रोकड़ बही द्वारा रखना सुनिश्चित करें। अंशदायी भविष्य निधि का दिनांक 31.3.13 को बैंक में शेष इस प्रकार थाः–

Saving Bank A/C No. 31359683589 (SBI Chamba) ₹1391552

6 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में विस्तार से दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.2013 को अनुदान की राशि ₹42842590/– अनुपयुक्त है। अतः लम्बे समय से राशि का प्रयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि अप्रयुक्त अनुदान राशियों को अनुदानों की स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार व्यय करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किए जाएं एवं अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाएं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट (ग) में दिनांक 1.4.2010 को अनुदान राशियों ULB Roads calamity reliay, NSDP/EIUS and BRGF के दर्शाये गये प्रारम्भिक शेष व गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31.3.2010 दर्शाए गए अन्तिम शेष में अन्तर है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 ₹976461/– अग्रिम धन राशियों के समायोजन न करनाः–

₹976461/– की राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को दिनांक 19.8.1980 से दिनांक 19.2.2013 तक अग्रिम धन राशि के रूप में दी गई थी जिसका

उल्लेख **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकतर अग्रिम राशियाँ काफी लम्बी अवधि से असमायोजित है। इनके समायोजन हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे हैं यह गम्भीर अनियमितता है। अतः कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि अग्रिम धन राशि का समायोजन वसूली/ नियमानुसार शीध्र की जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 विभिन्न विभागों के डिपाजिट कार्यों पर दिनांक 31.3.13 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹265404/– की वसूली शेषः–

नगर परिषद चम्बा द्वारा विभिन्न विभागों के डिपाजिट कार्यों पर दिनांक 01.04.2010 से 31.3.2013 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹265404/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इस राशि को पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ङ"** (पृष्ठ 1–2) में दिया गया है।

डिपाजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योकि इससे नगर के विकास के विकास कार्य में रूकावटें पैदा होती है। इसके अतिरिक्त ब्याज के रूप में परिषद को आय में हानि हुई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाना सुनिश्चित करें। अधिक व्यय की राशि की वसूली सम्बन्धित विभाग सें शीध्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

9 आयः–

(1) गृह करः–

(I) गृहकर की बकाया राशि ₹5548705/– वसूली योग्य राशि शेषः–

परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिसकी नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। दिनांक 31.3.13 को ₹5548705/– गृहकर के रूप में वसूली शेष थी जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है जोकि एक अति गम्भीर वित्तीय मामला है। गृह कर की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्यवही हेतु लाया जाता है।

(II) ₹3513530/– की राशि केवल 32 गृह कर दाताओं से वसूलना शेषः–

जाँच में पाया कि कुल बकाया गृह कर राशि में से ₹3513530/– निम्नविवरणानुसार केवल 32 गृहकर दाताओं से ही वसूलना शेष है जोकि एक गम्भीर आपत्ति है।

क्र0सं0	गृहकरदाता का नाम	वार्ड सं0	बकाया राशि
1	श्री नन्द किशोर सुपुत्र श्री देवी चन्द	1	9312
2	श्री केवल कृष्ण सुपुत्र श्री चन्दू लाल	1	14080
3	श्री चमन सुपुत्र श्री फजल	3	9959
4	श्री कपिल उपमन्यु, हि0प्र0 स्टेट को0 बैंक	3	60750
5	श्री शंकर सुपुत्र श्री गुलाब सिंह	4	9440
6	श्री कृष्ण लाल सुपुत्र श्री शोभा लाल	4	9440
7	श्री धर्म चन्द	4	9040
8	श्री रिशी केश सुपुत्र श्री चिरजीं लाल	4	80543
9	श्री देविन्द्र, राजिन्द्र (हरितिक होटल)	4	151875
10	श्री अजीत सिंह सुपुत्र श्री गुरूवचन	4	91125
11	श्री दीपक कुमार, अजय कुमार (City Heart)	4	710015
12	महाजन अतिथि गृह, श्रीमती कान्ता	4	96190
13	श्री अनिल महाजन (Aroma Hotel)	4	617625
14	श्री के0के0 महाजन	4	120000
15	श्रीमती मनोरमा (Holi Himalyan)	5	15000
16	Rissing Star School, Principal	6	23570
17	श्री हेम सिंह (Stipher School)	6	67295
18	श्री कुलदीप गुप्ता सुपुत्र श्री प्रेम लाल गुप्ता	6	84500
19	श्री जगमोहन शर्मा सुपुत्र श्री भगत राम	7	27000
20	श्री नरेन्द्र ठाकुर सुपुत्र श्री सुलतान सिंह	8	57955
21	श्री प्रवीण सुपुत्र श्री रिशी केश	8	18201
22	श्री मोहम्मद सदीक सुपुत्र श्री नूर मोहम्मद	8	20048
23	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रेम लाल	8	49360

24	श्री किशन कुमार सुपुत्र गन्धूमल	8	183515
25	मैनेजर होटल ईरावती	8	465750
26	होटल चम्पक	8	68345
27	प्रधानाचार्य बी0पी0एस0 सूल	8	107435
28	श्री सुरिन्द्र दल सुपुत्र श्री नील कण्ठ	8	274125
29	श्री अनिल मैथ्यू सुपुत्र श्री हैनरी	9	9848
30	श्री जगत राम सुपुत्र श्री गोपी चन्द	9	9600
31	श्री रघु नाथ सुपुत्र श्री काका राम	10	14464
32	श्री शिव कैलाश सुपुत्र श्री साईं दास	11	28125
	कुल बकाया राशि		**3513530**

अतः उपरोक्त गृहकर बकाया राशि की शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(III) विभिन्न गृहकर दाताओं से अंकेक्षण अवधि में ₹194991/– की कम मांग करने बारेः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित विभिन्न गृहकरदाताओं से गृहकर की मांग एवं वसूली वास्तविक गृहकर निर्धारण से कम की जा रही है जिस कारण से नगर परिषद को प्रतिवर्ष आर्थिक हानि हो रही है। अतः इन कर दाताओं से नियमों के अनुसार ₹194991/– निर्धारित गृह कर परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

क्र0सं0	**गृहकर दाता का नाम**	**वार्ड सं0**	**कर निर्धारण रजिस्टर**	**निर्धारित गृहकर**	**गृहकर की मांग**	**कम मांग**	**वर्ष**	**कुल कम मांग व वसूली**

क्र0सं0

1	श्री उमेश पुरी C/O Holy Himalyan School	7	13	17550	4725	12825	3	38475
2	श्रीमती केसरी देवी पत्नी श्री भण्डारी राम	1	106 (01)	11971	600	11371	3	34113
3	श्री एम0पी0 अवस्थी सुपुत्र श्री आर0सी0 अवस्थी	1	116 (3)	1245	800	445	3	1335
4	श्री आज्ञा पाल पुरी	5	97	2419	500	1919	3	5757
5	श्री जोगिन्द्र सिंह	5	95	1771	500	1271	3	3813
6	श्री दमन शर्मा	5	121	1270	500	770	3	2310
7	श्री बिहारी लाल सूद	5	123	2910	600	2310	3	6930
8	श्रीमती मनोरमा सुपुत्री श्रीमती सुतो देवी	5	124	3138	400	2738	3	8214
9	श्री ज्ञान चन्द	6	1	1843	400	1443	3	4329
10	श्री परस राम सुपुत्र श्री डोलू	6	3	1245	400	845	3	2535
11	श्री प्रेम सागर सुपुत्र श्री धरनी	6	5	1914	400	1514	3	4542
12	श्री मुलख राज सुपुत्र श्री बेली राम	6	20	2059	500	1559	3	4677
13	श्री के0सी0 पुरी	11	10	1240	600	640	3	1920
14	श्री सूबा राम सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह	11	20	1276	200	1076	3	3228
15	श्री चरण दास सुपुत्र श्री किरपा राम	7	7	10935	1058	9877	3	29631
16	श्रीमती चेलो पत्नी श्री चुहडू राम	7	14	5184	500	4684	3	14052
17	श्रीमती अनुसईया	7	24	1498	150	1348	3	4044
18	श्रीमती गायत्री	7	32	2470	500	1970	3	5910

19	श्रीमती सन्तोष देवी	8	4	5002	500	4502	3	13506
20	श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री देवी दयाल	8	9	2390	500	1890	3	5670
				कुल कम मांग व वसूली राशि				**194991**

(IV) नव–निर्मित भवन मालिकों से गृहकर की वसूली न करने बारेः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद के विभिन्न वाडों के नियमानुसार शत–प्रतिशत घरों से गृहकर की मांग व वसूली नहीं की जा रही है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नलिखित नव–निर्मित भवनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये थे लेकिन गृहकर निर्धारित नहीं किया गया जिस कारण इनसे गृहकर की वसूली भी नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं गृहकर की शत प्रतिशत वसूली करना भी सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	मोहल्ला
1	श्रीमती महिन्द्र कौंर सुपुत्री श्री किशन सिंह	14.11.11	हरदास पुरा
2	श्री घनश्याम सोनी सुपुत्र श्री अच्छरू राम	14.11.11	मुगला
3	श्री हरी सिंह सुपुत्र श्री धुत राम	18.10.11	ओवरी सुल्तानपुर

(V) नगर परिषद चम्बा के क्षेत्राधिकार में संचालित होटलों से गृहकर की वसूली न करनाः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद चम्बा के क्षेंत्राधिकार में संचालित अधिकतर होटल धारकों से गृहकर की वसूली नहीं की जा रही थी। अतः इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 दिनांक 21.3.14 जारी की जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या 3061 न0प0 चम्बा दिनांक 31.3.14 द्वारा सूचित किया कि निम्नलिखित होटलों से गृहकर की वसूली नहीं की जा रही है एवं भविष्य में कर ली जाएगी।

क्र0सं0	होटलों का नाम	होटलों का पता
1	Palace View	Oberi
2	Royal Dreams	Parel
3	Centre Point	Balu Bridge
4	Aashiana Regency	Near Bus Stand
5	White House	Near Changan
6	Shankar Lodge	Chamba
7	Chamba View	Gandhi Gate
8	Super Lodge	Sapri
9	G.M. Lodge	Near Church
10	Himalyan orchard Hunt	Shaho Road

अतः उपरोक्त होटल धारकों से इनकी संचालित दिनांक से गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(2) दुकानों से आयः—

(I) ₹5201571/— भवनों, दुकानों व अन्य परिसरों के किराए के रूप में बकाया राशियों की वसूलियां न करनाः—

परिषद द्वारा अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में लगभग 447 दुकानों का निर्माण किया था। **परिशिष्ट "छ"** के अनुसार दिनांक 31.3.13 तक ₹5201571/— दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे जिसमें से निम्न विवरणानुसार ₹3481452/— केवल 60 किरायेदारों से लेनी शेष है जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0एच0ए0 (7)—1/87—9237/9284 दिनांक 20.6.2001 के द्वारा करों इत्यादि की शत—प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गये थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जोकि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः समस्त बकाया राशियों की शीध्र वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	दुकान सं0	बाजार का नाम	दुकानदार का नाम	किराये की बकाया राशि

1	13	Court Complex	श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द	20870
2	12	-do-	श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री गुरदयाल	21820
3	1	New Sabji Mandi	श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री चुनी लाल	25530
4	3	-do-	श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री आनन्द कुमार	22450
5	16	-do-	मैनेजर, एस0बी0आई0	181220
6	5	Kasakara	श्री राजन महाजन सुपुत्र श्री मनोहर लाल	22700
7	9	Kasakara	श्री नील कण्ठ C/O वन्दना टैक्सटाईल	22680
8	10	-do-	श्री प्रदीप कुमार बुधिया राम	31780
9	9/10	Baloo Bazar	श्री गोरी शंकर सुपुत्र श्री धज्जु राम	74498
10	2	Near Champak Hotel	श्री राजेश सुपुत्र श्री युसफ	32430
11	4	Near Post Office	श्री सतपाल सुपुत्र श्री करतार	43400
12	5	-do-	श्री भानु प्रताप सुपुत्र श्री सन्तोष सिंह	43850
13	1	-do-	श्री हरमीत सिंह सुपुत्र श्री सीता राम	64300
14	3	-do-	श्री कंवल जीत सुपुत्र श्री चन्दा	58000
15	3	C.G.I. Shop	श्री गुरमीत कौर सुपुत्र श्री बसन्त सिंह	21800
16	(4)	-do-	श्री बलवीर सिंह सुपुत्र श्री उत्तम सिंह	21800
17	6	-do-	श्री गोरी सुपुत्र श्री गुरमीत सिंह	38400
18	7	-do-	श्री जय सिंह सुपुत्र श्री राजा सिंह	23200
19	8	-do-	श्री गोविन्द सिंह सुपुत्र श्री उत्तम सिंह	35200
20	9	-do-	श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री गोपी	48800
21	10	-do-	श्री राजेन्द्र सुपुत्र श्री हरवंश	44000
22	13	-do-	श्री तीर्थ सिंह सुपुत्र श्री स्वरूप सिंह	38400
23	14	-do-	श्री रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सेंवा सिंह	46400
24	15	-do-	श्री नरेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सुरेनद्र सिंह	39400
25	16	-do-	श्री सुरेन्द्र मोहन सुपुत्र श्री किशोरी लाल	37200

26	1	Rajeev Gandhi Shop	मैनेजर, हि0प्र0 स्टेट हैण्डी क्राफ्ट	46000
27	2	-do-	श्री योगेश सुपुत्र श्री टी0एस0 प्रसाद	30000
28	3	-do-	श्री गौरव सुपुत्र श्री अतर सिंह	103000
29	4	-do-	श्री सुजान सिंह सुपुत्र श्री गुरमुख	48000
30	5	-do-	श्री संजीव महाजन सुपुत्र श्री राम पाल	24000
31	6	-do-	श्री विवेक सुपुत्र श्री बृजलाल	66000
32	8	-do-	श्री सतपाल सिंह सुपुत्र श्री अवतार सिंह	82000
33	9	-do-	श्रीमती सन्तोष शर्मा सुपुत्री श्री राम गोपाल	108000
34	12	-do-	श्री मोहित सुपुत्र श्री दीपक	97500
35	13	-do-	श्री अंकुश सुपुत्र श्री कुन्दन लाल	32500
36	14	-do-	श्री अनूप कुमार सुपुत्र श्री हरिशरण	37500
37	15	-do-	श्री दीपक महाजन सुपुत्र श्री चरण दास	97500
38	16	-do-	श्री हितेन्द्र सुपुत्र श्री वचन सिंह	37500
39	17	-do-	श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री धर्मपाल	40000
40	19	-do-	श्री अमीन मालिक सुपुत्र श्री मीर बक्श	50000
41	20	-do-	श्री मुहम्मद आजम सुपुत्र श्री इकबाल	46000
42	22	-do-	श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री कृपा राम	37000
43	23	-do-	श्री जितेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री हरवंश सिंह	118000
44	24	-do-	श्रीमती तरूणा सुपुत्री श्री जितेन्द्र सिंह	118000
45	25	-do-	श्री कमल किशोर सुपुत्र श्री जगत राम	106000
46	26	-do-	कुमारी बिमला सुपुत्री श्री हेम चन्द	134000
47	27	-do-	श्री मनमोहन सिंह सुपुत्र श्री तेज सिंह	48000
48	28	-do-	श्री हरदीप सिंह सुपुत्र तेज सिंह	112000
49	29	-do-	श्री जितेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह	30500
50	30	-do-	श्री दर्शन कुमार सुपुत्र श्री बेली राम	54000
51	31	-do-	श्री चरण दास सुपुत्र श्री कृपा राम	54000

52	32	-do-	श्री जितेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मनोहर लाल	85500
53	33	-do-	श्री जसविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मनोहर लाल	85500
54	34	-do-	श्रीमती ईकबाल पत्नी श्री मुहम्मद यासीन	22500
55	37	-do-	श्री मुनीश महाजन सुपुत्र श्री विश्वनाथ	55000
56	40	-do-	सुख शान्ति सदन	31000
57	41	-do-	श्री दर्शन सिंह सुपुत्र श्री रामपाल	63000
58	42	-do-	श्री राहुल बदयाल	21000
59	43	-do-	श्री रितेश महाजन सपुत्र श्री अशोक महाजन	32000
60	44	-do-	मैनेजर, पर्वतीय ग्रामीण बैंक चम्बा	268824
			कुल बकाया राशि	**3481452**

अतः उपरोक्त वर्णित बकाया राशि की शीध्र वसूली हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि किराये की बकाया राशि को कम से कम किया जा सके एवं प्राप्त राशि का प्रयोग बनता की सुविधाओ हेतु किया जा सके। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(II) अनुबन्ध की शर्त के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक भवन के किराये की राशि न बढ़ाने के फलस्वरूप ₹737152/– की वित्तीय हानिः–

भारतीय स्टेट बैंक भवन जोकि नगर परिषद द्वारा बैंक को दिनांक 14.2.03 को ₹58140/– प्रतिमाह किराये पर दिया गया था एवं अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किराये की राशि में ₹20% बढ़ौतरी की जानी थी जोकि नहीं की जा रही थी। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226 दिनांक 24.2.2014 को दी गई थी लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को दिनांक 31.3.13 तक ₹737152/– की हानि हुई थी। अतः इस राशि की वसूली बैंक से करने हेतु नियमों के अनुसार पग उठाएं जायें। कम किराये की मांग व वसूली करने बारे भी

स्थिति स्पष्ट करें कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये की राशि में बढ़ौतरी करना सुनिश्चित किया जाए। कम किराये की वसूली का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

किराये की कम वसूलीः–

Date of Agreement	Due date for the revision of Rent	Rent to be Received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (PM)
14-2-2003	14-2-2008	58140+20%=69768	58140
	14-2-2013	69768+20%=83722	58140

Period From	To	Net Period	Rent to be received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)	Short Recovery (in Rs)
14-2-08	29-2-08	16 days	38493	32077	6415
1-3-08	31-1-13	59 months	69768	58140	686052
01-2-13	13-2-13	13 days	32392	26994	5399
14-2-13	28-2-13	15 days	44851	31146	13704
1-3-13	31-3-13	1 Month	83722	58140	25582
				कुल राशि	**737152**

अतः उपरोक्त कम वसूली गई राशि की शीध्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(III) राजीव गांधी परिसर की दुकानों के किराये में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार बढ़ौतरी न करने पर दिनांक 31.3.13 तक ₹95400/– की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि राजीव गांधी परिसर की लगभग 44 दुकानें दिनांक 01. 04.2007 को विभिन्न लोगों को किराये पर आंबटित की गई थी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात इनके किराये में 10**%** की बढ़ौतरी करना प्रस्तावित थी लेकिन किराये में यह बढ़ौतरी नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.13 तक ₹95400/– की हानि

नगर परिषद को उठानी पड़ी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। कम वसूली का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

(a) 19 Shop (Rent fixed ₹2000/- P.M)

Date of Agreement	**Due date for the revision of Rent**	**Rent to be Received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**
01.04.2007	01.04.2012	2000+10%=2200	2000

Period					
From	**To**	**Net Period**	**Rent to be received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**	**Short Recovery (in Rs)**
01.04.12	31.03.13	12 Months	2200	2000	2400
		19 दुकानों में कम वसूली 2400x19			**₹45600**

(b) 10 Shop (Rent fixed ₹1500/- P.M)

Date of Agreement	**Due date for the revision of Rent**	**Rent to be Received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**
01.04.2007	01.04.2012	1500+10%=1650	1500

Period					
From	**To**	**Net Period**	**Rent to be received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**	**Short Recovery (in Rs)**
01.04.12	31.03.13	12 Months	1650	1500	1800
		10 दुकानों में कम वसूली 1800x10			**₹18000**

(c) 9 Shop (Rent fixed ₹2500/- P.M)

Date of Agreement	Due date for the revision of Rent	Rent to be Received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)
01.04.2007	01.04.2012	2500+10%=2750	2500

Period					
From	**To**	**Net Period**	**Rent to be received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**	**Short Recovery (in Rs)**
01.04.12	31.03.13	12 Months	2750	2500	3000
		9 दुकानों में कम वसूली 3000x9			**₹27000**

(d) 4 Shop (Rent fixed ₹1000/- P.M)

Date of Agreement	Due date for the revision of Rent	Rent to be Received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)
01.04.2007	01.04.2012	1000+10%=1100	1000

Period					
From	**To**	**Net Period**	**Rent to be received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**	**Short Recovery (in Rs)**

01.04.2007	31.03.13	12 Months	1100	1000	1200
		4 दुकानों में कम वसूली 1200x4			**₹4800**

उपरोक्त 42 दुकानों से कम वसूली गई राशिः–

a+b+c+d=45600+18000+27000+4800=95400

उपरोक्त कम वसूली गई राशि ₹95400/–बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 24.2.14 जारी की गई थी लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं इसके अतिरिक्त पर्वतीय ग्रामीण बैंक भवन एवं दुकान संख्या 43 का अनुबन्ध आवश्यक सत्यापन हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(IV) विभिन्न परिसरों की दुकानों के किराये में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार बढ़ौत्तरी न करने के कारण दिनांक 31.3.13 तक ₹38658/–की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि परिषद के विभिन्न परिसरों की लगभग 38 दुकानें समय–2 पर लोगों को किराये पर आंबटित की गई थी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात इनके किराये में 10% की बढ़ौतरी करना प्रस्तावित थी लेकिन किराये में यह बढ़ौत्तरी नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.13 तक ₹38658/– की हानि परिषद को उठानी पड़ी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। कम वसूली का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

(a) Court Complex (Total Shops 14)

Date of Agreement	**Due date for the revision of Rent**	**Rent to be Received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded (P.M)**
16.11.2006	16.11.2011	300+10%=330	300

Period					
From	To	Net Period	Rent to be received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)	Short Recovery (in Rs)
16.11.11	30.11.11	15 days	330	300	15
1.12.11	31.3.13	16 Months	330	300	480
		कुल			**₹495**

14 दुकानों से कम वसूली 495x14=6930

(b) CGI Shops (Total 18 shops)

Date of Agreement	Due date for the revision of Rent	Rent to be Received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)
01.01.2008	01.01.2013	800+10%=880	800

Period					
From	To	Net Period	Rent to be received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)	Short Recovery (in Rs)
01.01.13	31.03.13	3 Months	880	800	240
		18 दुकानों सें कम वसूली 240x18			**₹4320**

(c) S.P. Kothi (Total 6 Shops)

Date of Agreement	Due date for the revision of Rent	Rent to be Received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded (P.M)
22.03.2003 (Rent will be revised after every three years)	22.03.2006	300+10%=330	300

22-03-09	330+10%=363	300
22.3.12	363+10%=399	300

Period					
From	**To**	**Net Period**	**Rent to be received (P.M)**	**Actual Rent Received & Demanded**	**Short Recovery (in Rs)**
22.03.06	31.03.06	10 days	330	300	10
01.04.06	28.02.09	35 Months	330	300	1050
01.03.09	21.3.09	21 days	330	300	20
22.03.09	31.3.09	10 days	363	300	20
01.04.09	28.2.12	35 Month	363	300	2205
01.03.12	21.03.12	21 days	363	300	43
22.03.12	31.3.12	10 days	399	300	32
01.04.12	31.3.13	12 Month	399	300	1188
				कुल	**4568**
		6 दुकानों से कम वसूली 4568x6			**₹27408**

उपरोक्त 38 दुकानों से कम वसूली गई राशिः—

a+b+c=6930+4320+27408=38658

उपरोक्त कम वसूली गई राशि ₹38658/—बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 24.2.14 जारी की गई थी लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त कम वसूली गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(v) ₹354377/– की दुकानों के किराये की राशि को नगर परिषद के खाते में जमा न करने के फलस्वरूप संदिग्ध गबनः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि जी–8 संख्या 2, 9 एवं 16 श्री विलियम, क्लर्क को दुकानों के किराये की राशि को एकत्रित करने के लिए जारी की गई थी लेकिन निम्नलिखित जी–8 द्वारा प्राप्त ₹354377/– की राशि नगर परिषद के खाते में जमा नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 230 दिनांक 28.02.14 द्वारा दी गई थी लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसा प्रतीत होता है उक्त राशि का संदिग्ध गबन/दुर्विनियोजन किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करें व इन जी–8 से प्राप्त राशि की वसूली ब्याज सहित उचित स्त्रोत से शीध्र अतिशीध्र करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें रसीदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	जी–8 नं0 3/2	01.6.10	6000
2	जी–8 नं0 4/2	01.6.10	6000
3	जी–8 नं0 5/2	01.6.10	2000
4	जी–8 नं0 6/2	01.6.10	2500
5	जी–8 नं0 8/2	14.6.10	8000
6	जी–8 नं0 10/2	16.6.10	5000
7	जी–8 नं0 11/2	16.6.10	15000
8	जी–8 नं0 12/2	16.6.10	13000
9	जी–8 नं0 14/2	07/2010	2000
10	जी–8 नं0 18/2	07/2010	2500
11	जी–8 नं0 19/2	07/2010	1500
12	जी–8 नं0 20/2	07/2010	8000
13	जी–8 नं0 21/2	18.7.10	15000
14	जी–8 नं0 22/2	19.7.10	3000

15	जी–8 नं0 23／2	25.7.10	4000
16	जी–8 नं0 24／2	25.7.10	7500
17	जी–8 नं0 25／2	13.8.10	2500
18	जी–8 नं0 26／2	13.8.10	8000
19	जी–8 नं0 27／2	6.9.10	8000
20	जी–8 नं0 28／2	09／2010	1500
21	जी–8 नं0 29／2	09／2010	2000
22	जी–8 नं0 30／2	4.10.10	1500
23	जी–8 नं0 31／2	18.10.10	8000
24	जी–8 नं0 32／2	20.10.10	2500
25	जी–8 नं0 33／2	23.10.10	2000
26	जी–8 नं0 34／2	10.11.10	6000
27	जी–8 नं0 35／2	20.11.10	1500
28	जी–8 नं0 36／2	29.9.10	20000
29	जी–8 नं0 37／2	10.3.11	4000
30	जी–8 नं0 38／2	15.3.11	1500
31	जी–8 नं0 39／2	15.3.11	2500
32	जी–8 नं0 41／2	16.3.11	2500
33	जी–8 नं0 43／2	02.04.11	6000
34	जी–8 नं0 45／2	06.04.11	8000
35	जी–8 नं0 46／2	06.04.11	1500
36	जी–8 नं0 47／2	06.04.11	2500
37	जी–8 नं0 48／2	06.04.11	2000
38	जी–8 नं0 49／2	06.04.11	2500
39	जी–8 नं0 50／2	06.05.11	2000
40	जी–8 नं0 51／2	07.6.11	4000
41	जी–8 नं0 53／2	13.4.12	10000
42	जी–8 नं0 54／2	13.4.12	2400
43	जी–8 नं0 58／2	18.4.12	30000

44	जी–8 नं0 59/2	04/2012	10000
45	जी–8 नं0 60/2	23.4.12	5000
46	जी–8 नं0 61/2	04/2012	10000
47	जी–8 नं0 63/2	04.5.2012	4500
48	जी–8 नं0 64/2	30.5.12	30000
49	जी–8 नं0 1–5/16	7.12.10	46000
50	जी–8 नं0 1–4/9	8.9.10	2977
		कुल राशि	**354377**

(VI) दुकानों के किराये की राशि प्राप्ति के 11 से 33 महीने के पश्चात जमा करने के फलस्वरूप दण्ड ब्याज के रूप में ₹104245/– की वसूली करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि दुकानों की किराये की राशि प्राप्त करने के 11 से 33 माह के पश्चात नगर परिषद के खाते में जमा करवाई गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त निगम 1971 के नियम 2.2 के विपरीत था एवं इस अवधि के दौरान इस राशि का दुरूपयोग किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने एवं दण्ड ब्याज के रूप में ₹104245/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229 दिनांक 28.2.14 जारी की गई थी लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

देरी से जमा करवाई गई राशि एवं दण्ड ब्याज की वसूली का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Receipt No.	Date of Receipt	Date of Deposit	Amount	Delay in Deposit	Panel Interest @ 18.5%
G 8No. 9/2	16.6.10	03/2013	54000	33 Month	32349
G 8 No. 13/2	07/2010	03/2013	30000	32 Month	17322
G 8 No. 15/2	07/2010	03/2013	20000	32 Month	11548
G 8 No. 16/2	07/2010	03/2013	20000	32 Month	11548

G 8 No. 17/2	07/2010	03/2013	20000	32 Month	11548
G 8 No. 42/2	18.3.11	03/2013	30000	25 Month	12776
G 8 No. 44/2	02.4.11	03/2013	4500	24 Month	1819
G 8 No. 57/2	18.4.12	03/2013	10500	12 Month	1943
G 8 No. 65/2	05/2012	03/2013	20000	11 Month	3392
			दण्ड ब्याज की कुल राशि		**104245**

उपरोक्त वर्णित दण्ड ब्याज की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(VII) वर्ष 2010—11, 2011—12 एवं वर्ष 2012—13 में दुकानों की बकाया किराये की कम राशि अग्रेनीत करने के फलस्वरूप ₹72870/— की हानिः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2010—11, 2011—12 एवं 2012—13 में दुकानों के किराये के प्रारम्भिक शेष में कम राशि अग्रेनीत करने के फलस्वरूप नगर परिषद को ₹72870/— की वित्तीय हानि हुई। अतः इन गलतियों का सुधार करके सही राशि किराये के मांग व वसूली रजिस्टर में प्रविष्टि करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष 2010—11

Complex	**Shop No.**	**Name**	**Amount C/F to 2010-11**	**Amount to be C/F**	**Less Amount carry forward**
Special Stall	122	Sh. Madho Ram S/O Sh. Hilochan	2050	2750	700
Near Champak Hotel, Gr. Floor	2	Sh. Chain Lal S/O Sh. Madan Singh	-	22900	22900
वर्ष 2010—11 के प्रारम्भिक शेष में कम अग्रेषित की गई राशि					**23600**

वर्ष 2011—12

Complex	**Shop**	**Name**	**Amount**	**Amount to**	**Less Amount**

	No.		C/F to 2011-12	be C/F	carry forward
Shop at Baloo Bridge	2	Sh. Ghanshyam Singh S/O Sh. Pritam	12100	4000	8100
Main Bazar Chamba	76	Sh. Punnu Ram S/O Sh. Seva Ram	2250	2350	100
Sitla Bridge	10	Sh. Mohamd Latif	Nil	100	100
Special Stall	97	Sh. Ajit Singh S/O Sh. Gurbachan Singh	Nil	600	600
Special Stall	133	Sh. Sudershan Kumar S/O Sh. Mohan Lal	Nil	4800	4800
Meat Market	3	Sh. Chuni Lal C/O Goel Bros	Nil	1550	1550
Meat Market	9	Sh. Banarsi Dass C/O Partap General Store	Nil	1550	1550
CGI Shop	1	Sh. Mukesh Kumar S/O Sh. Yash Pal	Shown Excess Deposit ₹350	1550	1900
Rajiv Gandhi Complex	7	Sh. Rekesh Kumar S/O Sh. Brahma Nand	Nil	2000	2000
वर्ष 2011–12 के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित की गई कम राशि					**20700**

वर्ष 2012–13

Complex	**Shop No.**	**Name**	**Amount C/F to 2012-13**	**Amount to be C/F**	**Less Amount carry forward**
Main Bazar	85	Sh. Raja Singh S/O Sh.	6775	7315	540

		Mitha Ram			
Special Stall	49	Sh. Surender Mohan S/O Sh. Meher Chand	120	150	30
Special Stall	106	Sh. Sher Singh S/O Sh. Balo Ram	Nil	1800	1800
Sitla Bridge	16	Sh. Chuni Lal S/O Sh. Lalo Ram	Nil	1200	1200
Meat Market	1	Sh. Rakesh Kumar S/O Sh. Baldev Singh	Nil	1800	1800
Meat Market	2	Sh. Tak Chand	Nil	1800	1800
Baloo Bridge	2	Sh. Ghanshyam Singh S/O Sh. Pritam Singh	7600	15700	8100
Baloo Bridge	7	Sh. Jiten Mehta S/O Sh. Darshan Mehta	Nil	3300	3300
Rajiv Gandhi Complex	13	Sh. Ankush Gupta S/O Sh. Kunden Lal Gupta	32500	42500	10000
	वर्ष 2012–13 के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित की गई कम राशि				**28570**

(VIII) रसीदों को नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुकानों के किराये की रसीदें नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द कर दी गई थी जोकि उचित नहीं है। अतः भविष्य में रसीदों का रद्दीकरण नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही करना सुनिश्चित करें। रद्द रसीदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

(1) जी–8 नं0 7/2 ₹2500/– श्री अमित महाजन को राजीव गांधी परिसर की दुकान संख्या 11 के किराये की जारी की गई थी।

(2) जी–8 नं0 55/2

अतः उपरोक्त जी–8 के रद्द करने की स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(IX) कसाकड़ा मौहल्ला की 2 दुकानों से अनुबन्ध में निर्धारित किराये की राशि से कम किराया लेने के फलस्वरूप दिनांक 31.3.13 तक नगर परिषद को ₹61739/– की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि कसाकड़ा मौहल्ला की निम्नलिखित दुकानों से अनुबन्ध में निर्धारित किराये से कम किराये की मांग व वसूली की जा रही है जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को दिनांक 31.3.13 तक ₹61739/– की हानि हो चुकी है। अतः इससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं समस्त दुकानों से अनुबन्ध के अनुसार ही किराये की वसूली करना सुनिश्चित करें। दुकानों एवं कम वसूली का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) श्री विजय कुमार, दुकान संख्या 15 से ₹13667/– की कम वसूलीः–

Shop No.	Name	Name of Market	Date of Agreement	Rent fixed as per Agreement	Demand Raised & Collected
15	Sh. Vijay Kumar S/O Sh. Dharmpal	Kasakra	03.03.2000	₹200/- P.M. (Rent enhanced @ 10% after every three years)	₹150 P.M.

Period From	Period To	Net Period	Rent to be received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded	Short Recovery (in Rs)
3.8.2000	2.3.2003	36 month	200	150	1800

3.3.2003	2.3.2006	36 month	220	150	2520
3.3.2006	2.3.09	36 month	242	150	3312
3.3.2009	2.3.12	36 month	266	150	4176
3.3.2012	31.3.13	13 Month	293	150	1859
			कुल कम वसूली		**13667**

(2) श्री नरेश कुमार, दुकान संख्या 14 से दिनांक 04.04.1994 से 31.3.13 तक ₹48072/– की कम वसूलीः–

Shop No.	Name	Name of Market	Date of Agreement	Rent fixed as per Agreement	Demand Raised & Collected
14	Sh. Naresh Kumar S/O Sh. Vir Singh	Kasakra	04.04.1994	₹275/- P.M. (Rent enhanced @ 10% after every three years)	₹150 P.M.

Period From	To	Net Period	Rent to be received (P.M)	Actual Rent Received & Demanded	Short Recovery (in Rs)
4.4.94	2.4.1997	36 month	275	150	4500
4.4.97	3.4.2000	36 month	303	150	5508
4.4.2000	3.4.2003	36 month	333	150	6588
4.4.2003	3.4.2006	36 month	366	150	7776
4.4.2006	3.4.2009	36 month	403	150	9108
4.4.2009	3.4.2012	36 month	443	150	10548
4.4.2012	31.3.2013	12 Month	487	150	4044
			कुल कम वसूली		**48072**

अतः उपरोक्त कम वसूली गई किराये की राशि शीध्र वसूल करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(x) नगर परिषद की लगभग 275 दुकानों के किराये में संशोधन न करने बारेः—

जाँच में पाया कि चम्बा मेन बाजार में चौगान के साथ नगर परिषद की लगभग 275 दुकानें है जिनका किराया मात्र ₹150 प्रतिमाह निर्धारित किया गया था जिसमें आज तक कोई भी बढ़ौतरी नहीं की गई जबकि इन दुकानों के साथ अन्य निजि दुकानों का किराया लगभग ₹2000/— से ₹3000/— प्रतिमाह तक है। नगर परिषद इन दुकानों के किराये में नियमों के अनुसार संशोधन करके अपनी आय में बढ़ौतरी कर सकती है जिससे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। अतः इन दुकानों के किराये में कोई भी संशोधन न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इन दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(3) विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से ₹60000/— वसूली योग्य शेषः—

मोबाईल टावर से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि निम्न विभिन्न कम्पनियों से दिनांक 31.3.2013 तक ₹60000/— वसूली योग्य शेष थे जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि इस राशि को वसूल करने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे है। अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कम्पनियों से शीध्र करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	मोबाईल कम्पनी का नाम	वसूली योग्य राशि
1	B.S.N.L	45000
2	Aircell	15000
	कुल राशि	**60000**

(4) तैह बाजारीः—

(I) तह बाजारी का मांग व वसूली रजिस्टर तैयार न करने बारेः—

जाँच में पाया कि नगर परिषद चम्बा में जनवरी 2004 में 95 परमिट विभिन्न लोगों को विभिन्न स्थानों पर ₹150/— प्रतिमाह की दर से तैहबाजारी लगाने के लिए जारी किये गये थे लेकिन इनसे तह बाजारी की वसूली अव्यवस्थित तरीके से की जा रही है अर्थात किस व्यक्ति का

कितना किराया बकाया है, का रिकार्ड तैयार ही नहीं किया गया थां इसके लिए गृहकर की तरह मांग व वसूली रजिस्टर तैयार किया जाना था। अतः वर्ष 2004 से तह बाजारी का मांग व वसूली रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि विभिन्न तह बाजारी परमिट होल्डरों की बकाया किराये की राशि की गणना की जा सके। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(II) वर्ष 2011–12 में ₹32600/– की तहबाजारी की कम वसूली करनाः–

वर्ष 2011–12 के बहीखाते की जाँच में पाया कि वर्ष 2011–12 में तहबाजारी (पृष्ठ 101–103) के रूप में ₹179400/– की वसूली की गई थी जिसमें से ₹41000/– की वसूली दशहरा उत्सव के विशेष स्टालों की जी–8 39/75 दिनांक 3.10.2011 द्वारा की गई थी अर्थात तह बाजारी के रूप में ₹138400/– (179400–41000) की वसूली की गई थी जबकि 95 परमिट होल्डरों से वर्ष 2011–12 में ₹171000/– (95x150x12) की वसूली अपेक्षित थी अर्थात वर्ष 2011–12 में ₹32600/– की कम वसूली की गई थी। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 247 दिनांक 20.3.14 द्वारा दी गई थी लेकिन इसकी वसूली हेतु कोई भी कार्यवही नहीं की गई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(III) वर्ष 2012–13 में ₹41300/– की तहबाजारी की कम वसूली करनाः–

वर्ष 2012–13 के बही खाते की जाँच करने पर पाया कि इस वित्त वर्ष में तह बाजारी (पृष्ठ 101–106) के रूप में ₹129700/– की वसूली की गई थी जबकि 95 परमिट होल्डरों से ₹171000/– (95x150x12) की वसूली करना अपेक्षित थी अर्थात वर्ष 2012–13 में ₹41300/– (171000–129700) की कम वसूली की गई थी। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 231 दिनांक 01.3.14 द्वारा दी गई थी लेकिन इसकी वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(IV) 61 तहबाजारी धारकों से तह बाजारी की वसूली न करने के फलस्वरूप ₹109800/– की प्रतिवर्ष हानिः–

अंकेक्षण के दौरान सफाई निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में सूचित किया कि नगर परिषद के परिसर में 61 तहबाजारी धारक ऐसे है जिनसे किसी भी प्रकार की तहबाजारी की वसूली नहीं की जा रही है। इस प्रकार नगर परिषद को प्रतिवर्ष ₹109800/– प्रतिवर्ष (61x150x12) की हानि हो रही है। इसका उल्लेख **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 231 दिनांक 01.3.14 द्वारा दी गई थी लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इन अनाधिकृत तह बाजारी धारकों से तह बाजारी की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(V) विश्राम गृह की नीलामी की बकाया राशि ₹101250/– की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद का विश्राम गृह को वर्ष 2012–13 में मैसर्ज डी0के0 एण्ड कं0 को ₹201250/– में ठेके पर दिया गया था जबकि वसूली केवल ₹100000/– की गई थी। अतः बकाया राशि ₹101250/– की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इस राशि को ब्याज सहित वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

(VI) रैहन बसेरा की नीलामी की बकाया राशि ₹17500/– की वसूली न करने बारेः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद का रैहन बसेरा वर्ष 2012–13 में ₹57500/– में नीलाम किया गया था जबकि वसूली केवल ₹40000/– की गई थी। अतः बकाया राशि ₹17500/– की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(VII) पार्किंग स्थल की नीलामी की बकाया राशि ₹138000/– की वसूली न करने बारेः–

(I) पार्किंग स्थल चौगान नं0 3

वर्ष 2012–13 में इस पार्किंग स्थल की नीलामी ₹601000/– में की गई थी जबकि वसूली ₹600000/– की गई थी । अतः बकाया राशि ₹1000 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(II) राजीव गांधी परिसर

जाँच में पाया कि वर्ष 2012–13 में इस पार्किंग स्थल की नीलामी ₹105000/– में की गई थी लेकिन वसूली नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस राशि की शीध अति शीध्र ब्याज सहित वसूली करना सुनिश्चित करें।

(III) मिनि सचिवालय परिसरः–

मिनि सचिवालय परिसर पार्किंग स्थल वर्ष 2011–12 में ₹32000/– में नीलाम किया गया था जबकि इसकी वसूली अभी तक नहीं कि गई यह अनियमित है। अतः इस राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं अब ₹32000/– वसूली ब्याज सहित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त पाया कि वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में इस पार्किंग स्थल की नीलामी नहीं की गई थी। अतः नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इसकी नीलामी करना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद की आय में बढ़ौतरी हो सके।

(VIII) ₹2646156/– मैसर्ज डी0के0 एण्ड क0 से नगर परिषद के जन्ज घर की नीलामी के एवज में वसूली योग्यः–

जाँच में पाया कि दिनांक 11.10.06 को नगर परिषद का जन्ज घर मैसर्ज डी0के0 एण्ड कं0 को ₹325000/– में अवधि 1.11.06 से 31.10.07 तक के लिए नीलाम किया गया था एवं प्रस्ताव संख्या 51 दिनांक 10.11.06 द्वारा प्रतिवर्ष 5% पटटा राशि में वृद्धि करके 5 वर्ष के लिए विस्तार (Extenstion) दिया गया था। लेकिन जाँच में पाया कि मैसर्ज डी0के0 एण्ड कं0 द्वारा नगर परिषद को पटटे की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था और न ही नगर परिषद द्वारा इसका रिकार्ड तैयार किया गया था जो कि एक चिन्ताजनक एवं गम्भीर आपत्ति का विषय है

क्योंकि इसमें इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254 दिनांक 25.3.14 द्वारा दी गई थी लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। पटटे की बकाया राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	**पटटे की राशि**
1.11.06 से 31.10.07	325000
1.11.07 से 31.10.08	341250
1.11.08 से 31.10.09	358313
1.11.09 से 31.10.10	376229
1.11.10 से 31.10.11	395040
1.11.11 से 31.10.12	414792
1.11.2 से 31.10.13	435532
कुल वसूली योग्य राशि	**2646156**

अतः उपरोक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इसकी वसूली ब्याज सहित उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनुबन्ध जोकि दिनांक 1.11.06 से 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, भी दिनांक 31.10.2011 को समाप्त को चुका था। अतः इस अवधि के पश्चात जन्ज घर को पटटे पर देने की प्रक्रिया पूरी न करने का भी औचित्य स्पष्ट करें।

(IX) विभागीय चार्जिज वसूल न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य Deposit Work के आधार पर किए गये थे लेकिन इन विभागों से विभागीय चार्जिज (Departmental Charges) की वसूली नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को हानि हो रही है क्योंकि नगर परिषद के कर्मचारी एवं स्टेशनरी इत्यादि का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। अतः भविष्य में अन्य विभागों के कार्य के लिए विभागीय चार्जिज नियमों के अनुसार वसूलना सुनिश्चित करें ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

10 व्ययः–

(1) दिनांक 1.1.06 से संशोधित वेतनमान के फलस्वरूप बकाया राशि के रूप में ₹750000/– का अनियमित नगद भुगतानः–

वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी0 (7) –1–2009 दिनांक 19.3.2010 के अनुसार संशोधित वेतन की बकाया राशि की द्वितीय किश्त ₹10000/– प्रति कर्मचारी सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया कि वाऊचर संख्या 350/11/01 दिनांक 26.7.10 के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों को ₹750000/– का भुगतान नगद किया गया था। अतः उपरोक्त पत्र संख्या द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में सरकार कें निर्देशों के अनुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त बकाया राशि की प्रविष्टियाँ स्थापना जाँच रजिस्टर (Estrablishment Check Register) में नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर आपत्ति है जिसके अभाव में दोहरे भुगतान की सम्भावना बनी रहती है। अतः वेतन के बकाया राशि की प्रविष्टियाँ स्थापना जाँच रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

(2) ₹1125/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 230/80/06 दिनांक 17.7.10 की जाँच के दौरान पाया कि मैसर्ज गोयल ब्रदर्ज चम्बा को विभिन्न सामग्री के क्रय पर अनुबन्धित दरों से अधिक दरो ंपर भुगतान करने के फलस्वरूप ₹1125/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई दर	अनुबन्धित दर	अधिक भुगतान
1	Bill No. 1158 Dated 21.11.09	50KG Narial	₹28 per Kg	₹24 Per Kg	50x4=200 Vat @

	M/S Goel bros Chamba	Broom			12.5%=25 225
2	Bill No. 1207 Dated 24.12.09 M/S Goel Bros Chamba	100Kg Narial Broom	₹28 Per Kg	₹24 P.Kg	100x4=400
		2 Nos Shovel	₹220 each	₹200 each	2x20=40
		2 Nos AXE	₹200 each	₹160 each	2x40=80
					520
				Vat @ 12.5%	65
					585
3	Bill no, 1278 dated 13.02.10 M/S Goel Bros Chamba	70 Kg Narial Broom	₹28 Per Kg	₹24 Per Kg	70x4=280
				Vat @ 12.5%	35
					315
		अधिक भुगतान की गई राशि			**1125**

(3) ₹4450/– का अनाधिकृत व्ययः–

नगर परिषद द्वारा ट्रेफिक लाईट के रख रखाव एवं संचालन हेतु ₹4450/– का भुगतान किया गया था जो कि नगर परिषद की निधि से वैध प्रभार नहीं था। अतः निम्नलिखित अनाधिकृत व्ययों को नगर परिषद के खाते से करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	वा0सं0	रसीद सं0	राशि

1	230/50/08 दिनांक 23.7.2010	R.No. 1300411 दिनांक 25.7.10, H.P. State Electicity Board	3150
2	230/50/79 दिनांक 18.10.2011	H.P. State Electicity Board	1300
		कुल राशि	**4450**

अतः उपरोक्त वापस की गई धरोहर राशि से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें एवं धरोहर राशि का रजिस्टर शीध्रातिशीध्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

(4) ₹7720/– के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर एवं दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारेः–

Deposit Work के जुलाई 2010 के खर्चों की जाँच के दौरान पाया कि ₹7720/– का भुगतान चैक संख्या 182977 दिनांक 23.7.10 द्वारा श्री पुन्नू राम को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 143 में की गई प्रविष्टि अनुसार किया गया था लेकिन इस भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर दस्तावेज आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(5) कर्मचारियों के वेतन की गलत प्रविष्टियाँ स्थापना निरीक्षण रजिस्टर में करने बारेः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का लेखा स्थापना निरीक्षण रजिस्टर (Estabilishment Check Register) में ठीक ढ़ंग से दर्ज नहीं किया गया था और न ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्थापना निरीक्षण रजिस्टर की प्रविष्टियों को समय–2 पर सत्यापित किया जाता है जिस कारण से वेतन के भुगतान एवं स्थापना निरीक्षण रजिस्टर की प्रविष्टियाँ में भिन्नता पाई गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान की प्रविष्टियाँ स्थापना निरीक्षण रजिस्टर में उचित प्रकार से करना सुनिश्चित

करें एवं इनको कार्यकारी अधिकारी से सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित करें। गलत प्रविष्टियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वाऊचर संख्याः– 210/10/01 दिनांक 15.7.2010

Salary for the month of June 2010 paid in July 2010

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	भुगतान की गई राशि	स्थापना निरीक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की राशि
1	श्रीमती सरोज (सफाई कर्मचारी)	₹4339	₹3589
2	श्री रमेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	₹5634	शून्य
3	श्री संजीव कुमार (सफाई कर्मचारी)	₹3574	₹3074
4	श्री विलियम (सफाई कर्मचारी)	₹2957	₹3135
5	श्री पवन (सफाई कर्मचारी)	₹3707	₹3885
6	श्री दीपू (सफाई कर्मचारी)	₹4856	₹5034
7	श्री राजू (सफाई कर्मचारी)	₹3181	₹5354
8	श्री राजेश कुमार (सफाई कर्मचारी)	₹3116	₹3289
9	श्री रन्जीत कुमार (सफाई कर्मचारी)	₹3616	₹6289

वाऊचर संख्या 210/10/04 दिनांक 28.1.2013

Salary for the month of Dec. 2012 paid in Jan 2013

1	श्री मोहिन्द्र कुमार (सफाई कर्मचारी)	₹13015	₹14550

(6) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद में किए गये विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे टेण्डर केस इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके अभाव में पुष्टि नहीं कि जा सकी कि कार्य का आंबटन न्यूनतम दरो ंपर किया गया था या फिर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका	भुगतान की गई राशि
1	Vr. No. 230/51/02 dt. 16.7.10	Protection work/Boundry Walls around the primary middle School	Sh. Sanjay Poonga	MB 33 Page 93	₹47097
2	230/51/03 dt. 14.7.10	-do-	-do-	MB 33 Page 94,95	₹14232
3	230/51/03 dt. 17.7.10	C/O Play Ground urban Area primary School	Sh. Paras Poonga	-	₹59356
4	230/80/07 dt. 19.7.10	Cleaning of different ward of M.C. Chamba	Sh. Avinash	-	₹46500

7 ₹1216 का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– Repair of Municipal Guest House, Chamba

संविदाकार का नामः– श्री देविन्द्र शर्मा

वर्क आर्डर सं0ः– 758 दिनांक 29.7.11

वा0सं0ः– 230/52/32 दिनांक 22.9.11

माप पुस्तिकाः– एमबी–38

भुगतान की गई राशिः– ₹54708 / –

उपरोक्त कार्य की जाँच के दौरान पाया गया कि यह कार्य न्यूनतम दरों के आधार पर श्री देविन्द्र शर्मा को अवार्ड किया गया था एवं इसके पश्चात विभिन्न मदों के लिए समझौता वार्ता (Negotiation) के दौरान दरों में कमी की गई थी। मद संख्या 11 (White washing with time on undecorated wall) की दर से ₹14 / – प्रति Sq. Meter से कम करके ₹9.50 प्रति Sq. Meter की गई थी लेकिन जाँच मे ंपाया कि माप पुस्तिका 38 के पृष्ठ 13 में इस मद की 270.26 Sq. Meter मात्रा रिकार्ड की गई थी एवं पृष्ठ 15 में ₹14 / – प्रति Sq. Meter की दर से ₹3783. 64 का भुगतान किया गया था जबकि भुगतान वास्तव में ₹2567.47 (270.26x9.50) किया जाना अपेक्षित था। अर्थात ₹1216 का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

8 निर्माण कार्यों की न्यायसंगत दरों (Justified rate) का निर्धारण न करनाः–

जाँच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित किए गये निर्माण कार्य के लिए टैन्डर / निविदाएं आमन्त्रित करने से पूर्व इसकी दरों की Justification तैयार नहीं की गई जिस के अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि Award किये गये कार्य को उचित दरो में करवाया गया या नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु कार्य को अत्याधिक दरो ंपर Award किया गया प्रतीत होता है। अतः न्यायसंगत दरों को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए Rate Justification तैयार करना सुनिश्चित करें यह प्रकरण परिषद में उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) वाऊचर संख्याः– 230 / 51 / 04 दिनांक 17.7.2010

कार्य का नामः– Protection work/Boundry wall ground the primary middle school

संविदाकार का नामः– श्री पंकज मल्हौत्रा

भुगतान की गई राशिः– ₹80157 / – (85% above)

(2)वाऊचर संख्याः– 230 / 50 / 25 दिनांक 31.1.2013

कार्य का नामः— P/L Half round pipe, Hume pipe ward 1 to ward 11, Chamba

संविदाकार का नामः— श्री अब्दुल गानी

अनुमानित राशिः— ₹685200/—

आंबटित कार्य राशिः— ₹842000/— vide award letter No. 1401-1405 dt. 21-8-2012

(3) वाऊचर संख्या :— 230/50/80 दिनांक 01.02.2013

कार्य का नामः— Protection of stair portion near Kali Mata temple

संविदाकार का नामः— श्री दीपक महाजन

अनुमानित राशिः— ₹94243/—

आंबटित राशिः— ₹126460/— vide letter No. 1957-1960 MCC/dated 3.10.12

(4) वाऊचर संख्याः— Nil dt. 20.5.13 (Deposit work)

कार्य का नामः— C/O Danga in obri near the house of Pandit jai Kumar, Chamba

संविदाकार का नामः— Sh. Ajay Mohd

अनुमानित राशिः— ₹115617.90

आंबटित/भुगतान राशिः— ₹158170/— vide award letter No. 2813 dt 08.02.2013

(5) कार्य का नामः— C/O Toilet Block Near Sitla Bridge & Chamba Town (BRGF)

संविदाकार का नामः— Sh. Sanjay Poonga

अनुमानित राशिः— ₹182756/—

आंबटित कार्य राशिः— ₹309586 vide award letter No. 5089-93 dt. 23.8.10 (69.4% above)

अवधि 2010—11

(6) वाऊचर संख्याः— 230/50/65 dt. 22-7-2011 (BRGF)

कार्य का नामः— C/O drains & pacca Path

संविदाकार का नामः— Sh Sokat Ali

अनुमानित राशिः— ₹101313/—

आंबटित कार्य राशिः— ₹177422/— vide letter No. 179 MCC dated/Chamba/23-3-11

9 ₹250600/— की सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः—

वाऊचर संख्या 230/51/115 दिनांक 24.10.11की जाँच के दौरान पाया कि 28 RCC बैंचों का क्रय श्री सत्तपाल से ₹8950/– प्रति बैंच की दर से ₹250600/– में सितम्बर 2011 में किया गया था जिसमें से 26 बैचों की राशि का भुगतान सितम्बर माह में कर दिया गया था एवं 2 बैचों की राशि का भुगतान उपरोक्त वाऊचर द्वारा आपूर्तिकर्ता को किया गया था। लेकिन इस सामग्री का इन्द्राज सम्बन्धित स्थायी भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था यह अनियमित है। अतः इसकी भण्डार प्रविष्टि स्थायी भण्डार रजिस्टर में करके प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाई जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान की वास्तविक रसीद भी प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इसे भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

10 ₹1875/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्याः 230/50/122 दिनांक 23.02.2013

कार्य का नामः– Providing interlinked chain along road to Shamshan ghat bhagrota, Chamba

संविदाकार का नामः– M/C Aarkay Steel, Chamba

अनुमानित राशिः– ₹200000/–

आंबटित कार्य पत्र संख्याः– No. 2524-2528 M.C. Chamba dt. 23.3.12

माप पुस्तिकाः– MB 40 Pge 32

उपरोक्त कार्य के लिए निम्नलिखित 4 मदों का भुगतान संविदाकार को किया गयाः–

(1) R.R. Masonary =6.39 Cum

(2) Steel work welded in build up section:-

Weight of one angle stracture =44 KG

Total Quantity =24x44=1056KG

(3) P/L 1:2:4= .67 Cum

(4) S/F G.I. wire fncing= 80.94 Sq. Meter

उपरोक्त कार्य की जाँच के दौरान पाया गया कि दूसरी मद (Angle Structure) की मात्रा 24 थी जबकि अन्य मदों का भुगतान 25 मात्राओं के लिए इस प्रकार किया गया थाः–

(1) R.R. Masonary 25x2.13x0.4x0.3=6.39 cum

(2) P/L 1:2:4= 25x0.3x0.3x0.3= 0.67 cum

(3) S/F G.I. wire fencing 25x1.52x2.13= 80.94 Sq meter

इस प्रकार इन मदों में एक–2 मात्रा का भुगतान संविदाकार को अधिक किया गया प्रतीत है इसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) RR Masonary 1x2.13x0.4x0.3=0.26 cum

भुगतान की गई दर ₹2550 P cum

अधिक भुगतान 0.26x2550=₹663

(2) P/L1:2:4 1x0.3x0.3x0.3=0.027 cum

भुगतान की गई दर ₹4100/- P Cum

अधिक भुगतान 0.0.27x4100=₹110

(3) S/F G.I. wire fencing 1x1.52x2.13=3.24 Sq. Metre

भुगतान की गई दर ₹340/- P.Sq. Meter

अधिक भुगतान 3.24x340=₹1102

अतः अधिक भुगतान ₹1875/– (663+110+1102) का संविदाकार को करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

11 वकीलों के पारिश्रमिक भुगतान सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

वाऊचर संख्या 220–51/67 दिनांक 4.10.11 द्वारा ₹37600/– का भुगतान श्री एस0एस0 जसरोटिया वकील को विभिन्न केसों की पैरवीं के एवज में भुगतान किया गया था लेकिन वकील के कार्य का ब्यौरा एवं केसों की स्थिति Suit Register एवं वकील के बिल में नहीं दिया गया था ताकि वकील के पारिश्रमिक को न्यायसंगत ठहराया जा सके और न ही प्रत्येक केस के पारिश्रमिक की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गई थी जिससे वकील के पारिश्रमिक को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः नगर परिषद के प्रत्येक केस में वकील को किए गये

भुगतान की गणना अलग–2 पृष्ठ में करना सुनिश्चित करें ताकि यह पुष्टि की जा सके कि किस केस के लिए कितना पारिश्रमिक वकील को दिया गया था। केसों को ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

Ameceri Ali VS State (Appeal)=	7000
Parvinder Singh Vs M.C. Chamba=	6000
Hoshiara Ram VS Sate (Civil suit)=	6000
Yogeshwar vs M.C. Chamba=	6000
Sarvan V/S State	6000
Gopal Singh vs M.C. Chamba	
Misc Charges=	600
Total =	37600

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद में श्री विनीत गुप्ता, वकील को ₹500 प्रतिमाह पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया था। अतः यदि नगर परिषद के केसों की पैरवी के लिए अलग से वकील करना पड़ता है तो श्री विनीत गुप्ता, वकील को नियुक्ति करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं श्री विनीत गुप्ता, वकील द्वारा नियुक्ति की अवधि के दौरान नगर परिषद के निपटाए गये कार्यों का ब्यौरा भी देना सुनिश्चित करें।

12 कार्य की मदों की रिकार्ड प्रविष्टि की माप पुस्तिका में पहचान अंकित न करने बारेः–

वाऊचर संख्याः– 230/50/25 दिनांक 31.1.13

कार्य का नामः– P/L Half round pipe hume pipe ward I to II chamba

संविदाकार का नामः– श्री अब्दूल गानी

अनुमानित राशिः– ₹685200/–

आंबटित कार्य राशिः– ₹842000/– vide letter No. 1401-1405 dated 21.8.12

माप पुस्तिका ::– 39, 40

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल में 150 MM hume pipe की 751.20 Rmt एवं 250 MM की 202 RMT hume pipe नगर परिषद के विभिन्न वार्डों की गलियों में बिछाने के एवज

में संविदाकार को माप पुस्तिका 39 के पृष्ठ 52 में ₹572740/– का भुगतान किया गया था एवं द्वितीय एवं अन्तिम बिल में 150 mm hume pipe की 336 Rmt एवं 250 MM की 115 Rmt hume pipe के एवज में ₹275650/– का भुगतान माप पुस्तिका 40 के पृष्ठ 17 में किया गया था।

जाँच के दौरान पाया कि माप पुस्तिका में hume pipe की रिकार्ड प्रविष्टि की पहचान अंकित नहीं की गई थी और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्ड प्रविष्टियों को Test check किया गया था जिसके अभाव में hume pipe की मात्रा के सही भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः निम्नलिखित रिकार्ड प्रविष्टियों की पहचान अंकित करके इसकी सक्षम अधिकारी से Test Check डलवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

माप पुस्तिकाः– 40 पृष्ठ 17

150MM hume pipe

Temple Road 2x68Rmt=136 RMT

Hardas pura Mugla 2x41Rmt =82Rmt

Mohalla Sunara 2x7Rmt= 14Rmt

250mm hume pipe

Moholla Kasakra 2x24 Rmt= 48 Rmt

13 Store Aggregate की आपूर्ति पर 5% की दर से void न घटाने के फलस्वरूप ₹9387/– का अधिक भुगतानः–

जाँच में पाया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से निर्माण कार्यों के लिए store Aggregate की निम्नलिखित मात्रा का क्रय किया गया था लेकिन भुगतान के दौरान नियमों के अनुसार 5% की दर से voild कम नहीं किये गये थे जिस कारण से आपूर्तिकर्ताओं को ₹9387/– का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2010–11

Month	Ident No.	Quantity	Void	Recoverable Amount
04/2010	24/40	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
05/2010	24/45	360 c.f.t	18 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 306
	24/47	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
	24/49	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
06/2010	24/50	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
	24/52	360 c.f.t	18 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 306
	24/53	360 c.f.t	18 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 306
	24/54	180 c.f.t	9 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 153
07/2010	24/55	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
	24/57	320 c.f.t	16 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 272
08/2010	24/58	180 c.f.t	9 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 153
	24/61	180 c.f.t	9 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 153
	24/62	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
09/2010	24/64	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
	24/66	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
	24/67	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
	24/68	180 c.f.t	9 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 153
10/2010	24/70	360 c.f.t	18 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 306
11/2010	24/72	160 c.f.t	8 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 136
	24/75	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
12/2010	24/78	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
01/2011	24/82	300 c.f.t	15 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 255
02/2011	24/85	240 c.f.t	12 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 204
03/2011	24/88	180 c.f.t	9 c.f.t	@ ₹17 per c.f.t 153
		कुल वसूली योग्य राशि		**5406**

वर्ष 2011—12

Month	Ident No.	Quantity	Void	Recoverable

				Amount
04/2011	24/94	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
	24/96	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
05/2011	24/97	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
	24/100	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
06/2011	50/2	240 c.f.t	12	@ ₹19 per c.f.t 228
07/2011	50/5	240 c.f.t	12	@ ₹19 per c.f.t 228
08/2011	50/7	180 c.f.t	9	@ ₹19 per c.f.t 171
09/2011	50/8	180 c.f.t	9	@ ₹19 per c.f.t 171
	50/11	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
10/2011	50/13	180 c.f.t	9	@ ₹19 per c.f.t 171
11/2011	50/15	480 c.f.t	24	@ ₹19 per c.f.t 456
12/2011	50/22	240 c.f.t	12	@ ₹19 per c.f.t 228
	50/23	180 c.f.t	9	@ ₹19 per c.f.t 171
01/2012	50/25	180 c.f.t	9	@ ₹19 per c.f.t 171
02/2012	50/28	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
03/2012	50/30	120 c.f.t	6	@ ₹19 per c.f.t 114
	50/32	300 c.f.t	15	@ ₹19 per c.f.t 285
04/2012	50/34	250 c.f.t	12-5	@ ₹19 per c.f.t 238
05/2012	50/36	350 c.f.t	17.5	@ ₹19 per c.f.t 332
	50/38	350 c.f.t	17.5	@ ₹19 per c.f.t 333
		वसूली योग्य राशि		**3981**

वसूली योग्य कुल राशि 5406+3981=9387

उपरोक्त के अतिरिक्त आपूर्ति एवं निविदाएं आमन्त्रित करते समय stone aggregate की Specification अंकित नहीं की गई थी। अतः भविष्य में specification के अनुसार ही दरो ंका निर्धारण करना सुनिश्चित करें।

14 Segregation of solid waste Management पर ₹943528/– का अपव्ययः–

नगर परिषद चम्बा में ठोस कूड़ा कर्कट प्रबन्ध पर प्रतिवर्ष लगभग ₹300000/– से ₹400000/– खर्च किए जाते है जबकि इसके बदले में आय शून्य के बराबर है। कूड़ा कर्कट प्रबन्धन पर खर्च राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**ठोस कूड़ा कर्कट प्रबन्ध पर व्यय राशि**	**आय**
2010–11	213411	शून्य
2011–12	323177	शून्य
2012–13	406940	शून्य
जोड़	**943528**	

(1) जाँच में पाया कि ठोस कूड़ा करकट प्रबन्ध के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है इस खाद की मात्रा को न तो भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है एवं न ही विक्रय किया जाता है जिस कारण से जिस उद्देश्य के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्ध की सत्यापना की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि खाद की उच्च गुणवता एवं विक्रय हेतु नजदीक के कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श लेना सुनिश्चित करें एवं तैयार खाद की मात्रा को भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करके इसका नियमानुसार निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) छंटाई के दौरान प्राप्त पोलिथीन को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, चम्बा को विक्रय किया जाता है कि एवं इसकी दर जिलाधीश चम्बा द्वारा ₹3 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई थी लेकिन नगर परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार 61.20 क्विंटल पोलिथीन विक्रय किया गया था लेकिन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग चम्बा से राशि की वसूली नहीं की गई।

क्र0सं0	**पत्र सं0/रसीद सं0**	**पोलीथीन की मात्रा**
1	21.12.09	4.50 क्विंटल
2	22.12.09	3.00 क्विंटल
3	23.12.09	2.50 क्विंटल
4	24.12.09	3.50 क्विंटल
5	25.12.09	5.00 क्विंटल

6	26.12.09	3.50 क्विंटल
7	22.4.10	3.00 क्विंटल
8	23.4.10	2.00 क्विंटल
9	24.4.10	1.50 क्विंटल
10	25.4.10	1.50 क्विंटल
11	26.4.10	2.00 क्विंटल
12	27.4.10	2.00 क्विंटल
13	28.4.10	1.70 क्विंटल
14	29.4.10	1.50 क्विंटल
15	Letter No. 166 dt. 3-6-11	1.80 क्विंटल
16	Letter No. 989 dt. 16-9-11	1.70 क्विंटल
17	Letter No. 470 dt. 12-7-11	1.50 क्विंटल
18	Letter No. 1152 dt 15-10-11	2.00 क्विंटल
19	Letter No. 1346 dt. 17-11-11	2.00 क्विंटल
20	Letter No. 1490 dt. 6-12-11	4.00 क्विंटल
21	Letter No. 1867 dt. 24-1-12	1.00 क्विंटल
22	Letter No. 2099 dt. 27-2-12	1.50 क्विंटल
23	Letter No. 83 dt. 9-4-13	2.00 क्विंटल
24	Letter No. 370 dt. 25-5-12	2.00 क्विंटल
25	Letter No. 1557dt. 13-9-12	3.00 क्विंटल
26	Letter No. 2557 dt. 09-01-13	1.50 क्विंटल
	पोलीथीन की कुल मात्रा	**61.20 क्विंटल**

अतः उपरोक्त 61.20 क्विंटल पोलीथीन की कुल राशि ₹18360/– (6120X3) की वसूली शीघ्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

15 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ₹210000/– का अनियमित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 230/80/01 दिनांक 14.7.2010 की जाँच के दौरान पाया कि श्री बजरू राम सुपुत्र श्री होशियारा राम को वर्ष 2010–11 में कूड़ा कर्कट प्रबन्धन के लिए ₹21000/– प्रतिमाह का भुगतान किया गया था लेकिन इस कार्य के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई

थी बल्कि मनमानी दरों का निर्धारण करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार निविदाएं आमन्त्रित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 नगर परिषद के वाहनों की रिपेयर पर ₹56404/– भुगतान लगभग 4 वर्ष पश्चात करनाः–

चयनित माह 02/2013 के व्यय की जाँच के दौरान पाया कि वाऊचर संख्या 230/53/19 दिनांक 01.02.13 द्वारा नगर परिषद के विभिन्न वाहनों की मुरम्मत हेतु मैसर्ज महाजन ओटों स्पेयरज को ₹56404/– का भुगतान माह फरवरी 2013 में किया गया था जबकि वाहनों की मुरम्मत दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 में करवाई गई थी। अतः रिपेयर करवाने के 4 वर्ष के पश्चात भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें। मुरम्मत का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) वाहन संख्या एच0पी0 48–2422:–

उपरोक्त वाहन की मुरम्मत करवाने के एवज में मैसर्ज महाजन ओटो स्पेयरज को बिल संख्या 2710 दिनांक 20.12.08 द्वारा ₹29222/– का भुगतान किया गया था एवं लॉग बुक में इसकी प्रविष्टि पृष्ठ संख्या 47 दिनांक 12.9.09 को की गई थी जबकि इसकी प्रविष्टि पृष्ठ संख्या 22 में दिनांक 20.12.08 को करना अपेक्षित थी। अतः मुरम्मत की दिनांक को लॉग बुक में प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं मुरम्मत के लगभग 4 वर्ष एवं 2 माह के पश्चात भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(2) वाहन संख्या एच0पी0 48–4222:–

उपरोक्त वाहन की मुरम्मत करवाने के एवज में मैसर्ज महाजन ओटो स्पेयरज को बिल संख्या 2708 दिनांक 20.12.08 द्वारा ₹19350/– का भुगतान किया गया था एवं लॉग बुक में

इसकी प्रविष्टि पृष्ठ संख्या 65 दिनांक 10.4.09 को की गई थी जबकि इसकी प्रविष्टि पृष्ठ 42 में दिनांक 20.12.08 को करना अपेक्षित थी। अतः मुरम्मत की दिनांक को लॉग बुक में प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं मुरम्मत के लगभग 4 वर्ष एवं 2 माह के पश्चात भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(3) वाहन संख्या एच0पी0 48–2798:–

उपरोक्त वाहन की मुरम्मत हेतु मैसर्ज महाजन ओटो स्पेयरज को बिल संख्या 2630 दिनांक 18.3.09 द्वारा ₹7832/– का भुगतान दिनांक 01.02.2013 को लगभग 4 वर्ष के पश्चात किया गया था। अतः इतनी लम्बी अवधि के पश्चात भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 नगर के साफ सफाई के टैण्डर प्रक्रिया पर अनियमित व्ययः–

वर्ष 2012–13 में नगर परिषद चम्बा की साफ–सफाई के लिए टैण्डर आमन्त्रित किए गये थे जिसमें से श्री अभिशेक कुमार मौहल्ला हरदासपुरा का टैण्डर ₹250000/– प्रतिमाह की राशि न्यूनतम थी एवं इसके पश्चात संविदाकार को Negotiation हेतु बुलाया गया लेकिन Negotiation न करके वर्ष 2011–12 की दरों ₹219500/– प्रतिमाह पर ही Internation Institute of Sulabh System को ही कार्य दे दिया गया। अतः यदि वर्ष 2011–12 की दरों पर ही कार्य दिया जाना था तो वर्ष 2012–13 को टैण्डर अमान्त्रित करने का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाये एवं यदि श्री अभिशेक कुमार से वर्ष 2012–13 में Negotiation की होती तो शायद यह कार्य ₹219500/– से कम पर किया जा सकता था। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था टैण्डर प्रक्रिया पर अपव्यय किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 नगर परिषद के वाहनों की कम औसत बारेः–

(I) वाहन संख्या एचपी–48–0407

(i) ₹104552/– का मुरम्मत पर अनावश्यक व्ययः–

वाउचर संख्या 230/53/36 दिनांक 05.03.12 की जाँच के दौरान पाया कि मैसर्ज संगम मोहर, चम्बा को ₹104552/– का भुगतान वाहन संख्या एचपी–48–0407 की मुरम्मत के

एवज में किया गया था वाहन की मुरम्मत खुले बाजार से बिना निविदाएं आमन्त्रित की गई जबकि वाहन की मुरम्मत अधिकृत डीलर से कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी यह अनियमित है। इसके अतिरिक्त मुरम्मत करवाने के पश्चात दिनांक 17.6.13 से गाड़ी नगर परिषद कार्यालय के आगे खराब घोषित करके खड़ा कर दिया गया था। अतः यदि मुरम्मत के पश्चात गाड़ी चालू हालत में नहीं थी तो ₹104552/– का भुगतान करने का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाये एवं इस वाहन का निरीक्षण टैक्नीकल कमेटी द्वारा करवाना सुनिश्चित करें एवं यदि वाहन की मुरम्मत एवं भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की गई थी तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए एवं औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना करवाए गये मुरम्मत कार्य पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्थापनाः–

(1) स्थाना पर (Establishment) पर ₹4356820/– का अनियमित/अधिक व्ययः–

नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53(1) (सी) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि खर्च की जा सकती है जबकि जाँच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में ₹4356820/– की राशि स्थापना पर अनियमित रूप से अधिक व्यय की गई थी। इस विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Year	**Tota Expenditure**	**Required 1/3rd expenditure on Establishment**	**Actual Expenditure on Establishment**	**Excess Expenditure on estamlishment**
2010-11	28506465	9502155	11682866	2180711
2011-12	34263330	11421110	13211398	1790288
2012-13	47833327	15944442	16330263	385821
		कुल अधिक व्यय राशि		**4356820**

अतः स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक ₹4356820/– व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं अनाधिकृत तरीके से अधिक किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(1) ₹9009/– का श्री रूप कुमार (सफाई निरीक्षक) को अधिक भुगतानः–

श्री रूप कुमार (सफाई निरीक्षणक) की सेवा पुस्तिका की जाँच के उपरान्त पाया कि इनकी पदोन्नति सफाई निरीक्षक के पद पर दिनांक 16.08.1993 को हुई थी एवं ACP's के अर्न्तगत 16 वर्ष के पश्चात दिनांक 16.8.09 को एक वेतन वृद्धि अपेक्षित थी जबकि वास्तव में यह वेतन वृद्धि दिनांक 01.08.2008 को दे दी गई थी अर्थात देय तिथि से 12 महीने एवं 15 दिन पूर्व ही वेतन वृद्धि जारी कर दी गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235 दिनांक 06.03.14 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Period	**Amount Drawn**			**Amount due**			**Difference**	**Excess paymnt**
	B. Pay	**D.A.**	**Total**	**B. Pay**	**D.A.**	**Total**		
01.08.08 to 31.12.08	20340	3254	23594	19740	3158	22898	696x5	3480
01.1.09 to 30.6.09	20340	4475	24815	19740	4343	24083	732x6	4392
1.7.09 to 31.7.09	20340	5492	25832	19740	5330	25070	762x1	762
01.08.09 to	20950	5657	26607	20340	5492	25832	775x15/31	375

15/8/09

अधिक भुगतान राशि 9009

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹9009/– की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र करके नगर परिषद के खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(3) सफाई कर्मचारियों को दिनांक 01.01.06 से संशोधित वेतनमान का भुगतान करते समय EOL अवधि की वसूली न करने बारेः–

जाँच में पाया गया नगर परिषद के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से 30.9.2009 तक संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किया गया लेकिन इस बकाया राशि की प्रविष्टियाँ स्थापना जाँच रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि किस कर्मचारी को किस निश्चित अवधि में कितना भुगतान किया गया था। अतः बकाया राशि के भुगतान के समय इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी के स्थापना जाँच रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के भुगतान के समय EOL अवधि की वसूली नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। सफाई कर्मचारियों के EOL अवधि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	माह	EOL अवधि
1	श्री अमर चन्द	03/2006 से लगभग हर माह 6/09 तक	कुल 188 दिन
2	श्री सुरिन्द्र कुमार	03/2006 से 1/2009	3 दिन
3	श्री दीपू	08/2008	2 दिन
4	श्री संजय	04/2006 से 12/08 तक	108 दिन
5	श्री रन्जीत	12/2008 से 9/2009 तक	46 दिन
6	श्री सुनील	03/2006 से	17 दिन

		03/2008 तक	
7	श्री विजय कुमार	02/2007 से	14 दिन
		09/2009 तक	
8	श्री पवन	11/2007 से	69दिन
		06/2009 तक	
9	श्री परवेज	01/2006 से	142 दिन
		06/2009 तक	
10	श्री रमेश	07/2006 से	228 दिन
		9/2009 तक	
11	श्री अजय हाण्डा	01/2006 से	111 दिन
		3/2009	

इस बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 259 दिनांक 02.04.14 कार्यकारी अधिकारी जारी दी गई थी लेकिन इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त EOL अवधि का संशोधित वेतनमान जारी करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(4) सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश का इन्द्राज न करने बारेः–

(1) विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच के दौरान पाया कि निम्न कर्मचारियों ने अर्जित अवकाश व्यतीत कर लिया था लेकिन इन छुट्टियों की प्रविष्टियाँ सेवा पंजिकाओं में नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करें।

(I) श्री राजू, बेलदार

Earned leave w.e.f 11.5.11 to 28.5.11= 18 days

(2) श्रीमती कैलाशो, बेलदार

Earned leave w.e.f 26.9.11 to 21.10.11= 26 days

(3) श्री राजू, सफाई कर्मचारी

Earned leave w.e.f 18.4.11 to 2.5.11= 15 days

(II) सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मचरियों की ली गई हाजरी की जाँच करने पर पाया कि **परिशिष्ट "ञ"** में वर्णित सफाई कर्मचारी विभिन्न अवधियों में अनुपस्थित थे जबकि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इनकी प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260 दिनांक 03.4.14 द्वारा छुट्टियों की प्रविष्टियाँ न करने बारे औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इन छुटिटयों की प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिकाओं में करना सुनिश्चित करें अन्यथा इन छुटियों के वेतन की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में हाजरी पत्रिका के निरीक्षण के उपरान्त ही वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(5) ₹278151/– का वेतन के रूप में अधिक भुगतानः–

पत्र संख्या Pen (AP-11) CP(A)-3/84 दिनांक 24.11.1998 के निर्देशों के अनुसार क्लर्क जिसकी नियुक्ति करूणामूलक आधार पर की गई हो उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ Type test पास करने के पश्चात ही दिया जा सकता है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया कि श्रीमती पवनेश की नियुक्ति क्लर्क के रूप में दिनांक 09.3.1999 को करूणामूलक आधार पर की गई थी एवं दिनांक 31.3.13 तक वेतन वृद्धियाँ जारी की गई थी जबकि उपरोक्त पत्र संख्या के निर्देशों के अनुसार वेतन वृद्धियाँ देय नहीं थी। अतः दिनांक 31.3.13 तक ₹190974/– का अधिक भुगतान किया गया था इसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है।

इसी प्रकार श्री विवेक कुमार की नियुक्ति दिनांक 28.02.02 को करूणामूलक आधार पर की गई थी एवं दिनांक 31.3.13 तक वेतन वृद्धियाँ जारी की गई थी जबकि typre test पास न होने के कारण यह देय नहीं थी। अतः ₹87177/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है।

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की राशि ₹278151/– की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

12 पैन्शनः–

(1) दिनांक 01.01.06 से संशोधित पैन्शन के रूप में ₹315420/– का अधिक भुगतानः–

पैन्शन बिलों की जाँच के दौरान पाया कि नगर परिषद चम्बा में 10/2009 से पैन्शन का संशोधन करके उसी माह से संशोधित पैन्शन जारी कर दी गई थी। इस प्रकार पैन्शन की बकाया राशि 1.1.06 से 30.9.09 तक देय थी जबकि पैन्शन की बकाया राशि का भुगतान अवधि 01.01.06 से 31.10.2010 तक किया गया था अर्थात 1.10.09 से 31.10.10 तक की संशोधित पैन्शन की बकाया राशि का भुगतान अधिक/पुनः कर दिया गया था। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 258 दिनांक 01.04.14 द्वारा दी गई थी लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैन्शनर का नाम	अवधि	अधिक भुगतान की गई पैन्शन
1	श्री राजिन्द्र कुमार	01.10.09 से 31.10.10 तक	14196
2	श्री ओ0पी0 चोना	01.10.09 से 31.10.10 तक	9819
3	श्री रमेश महाजन	01.10.09 से 31.10.10 तक	13790
4	श्री पतरास	01.10.09 से 31.10.10 तक	5069
5	श्रीमती रतनी	01.10.09 से 31.10.10 तक	5452
6	श्रीमती राज	01.10.09 से 31.10.10 तक	13382
7	श्री नाजीर	01.10.09 से 31.10.10 तक	7022
8	श्रीमती कर्मी	01.10.09 से 31.10.10 तक	7022
9	श्री दीवान सिंह	01.10.09 से 31.10.10 तक	8760
10	श्री दीलावर	01.10.09 से 31.10.10 तक	6293

11	श्री लजरास	01.10.09 से 31.10.10 तक	7896
12	श्रीमती करमो	01.10.09 से 31.10.10 तक	5442
13	श्रीमती सुखदई	01.10.09 से 31.10.10 तक	6310
14	श्रीमती कमला	01.10.09 से 31.10.10 तक	6161
15	श्री जर्मो	01.10.09 से 31.10.10 तक	8526
16	श्रीमती कमला	01.10.09 से 31.10.10 तक	4789
17	श्रीमती गुरो	01.10.09 से 31.10.10 तक	1900
18	श्री दीवन चन्द	01.10.09 से 31.10.10 तक	7873
19	श्रीमती पूनम	01.10.09 से 31.10.10 तक	6887
20	श्रीमती निर्मल कान्ता	01.10.09 से 31.10.10 तक	11488
21	श्रीमती इन्दिरा	01.10.09 से 31.10.10 तक	13382
22	श्रीअमर नाथ	01.10.09 से 31.10.10 तक	7939
23	श्रीमती प्रेमी	01.10.09 से 31.10.10 तक	13382
24	श्रीमती मैहरी	01.10.09 से 31.10.10 तक	30660
25	श्री शिव कुमार	01.10.09 से 31.10.10 तक	30660
26	श्रीमती चम्बा	01.10.09 से 31.10.10 तक	30660
27	श्रीमती मनो	01.10.09 से 31.10.10 तक	30660
		कुल योग	**315420**

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि ₹315420/– की वसूली शीध्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(2) पैन्शन भुगतान की प्रविष्टियाँ पैन्शन जाँच रजिस्टर में न करने बारेः–

अंकेक्षण में पाया कि पैन्शन भुगतान की प्रविष्टियाँ पैन्शन जाँच रजिस्टर (Pension Check Register) में नहीं की जाती है जिस कारण से पैन्शन के अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्येक माह की पैन्शन की प्रविष्टि पैन्शन जाँच रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

(3) पैन्शन के नियमित भुगतान हेतु पैन्शन कारपस फण्ड गठित न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद में पैन्शनरों की संख्या में वृद्धि हो रही है जबकि पैन्शन के नियमित भुगतान हेतु किसी प्रकार के फण्ड का गठन नहीं किया गया है एवं प्रत्येक माह पैन्शन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि अन्य खातों से हस्तांतरित करवानी पड़ती है। अतः यदि शीध्र पेन्शन फण्ड का गठन न किया गया तो भविष्य में पैन्शन के भुगतान में परेशानी हो सकती है। अतः शीध्र नियमों के अनुसार पैन्शन करपस फण्ड का गठन करना सुनिश्चित करें। पैन्शन के भुगतान का ब्यौरा निमन प्रकार से हैः–

Year	**Pension Fund Contribution**	**Deficif Amount transferred from General Account**	**Total payment of Pension**
2010-11	1236818	1834254	3071072
2011-12	1557534	3230709	4788243
2012-13	1615416	3266760	4882176

(4) Enhanced pension (Family Pension) के रूप में श्रीमती पूनम पत्नी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह को ₹98111/– का अधिक भुगतानः–

श्रीमती पूनम पत्नी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिह का PPO No. 556/2004-05 की जाँच के दौरान पाया कि श्री नरेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 02.12.02 को हुई थी एवं इनकी पत्नी को Family pension at enhanced rate पर ₹2580/– प्रतिमाह दिनांक 02.12.09 तक निर्धारित की गई थी इसके पश्चात Family pension सामान्य दर पर ₹1548 निर्धारित की गई थी लेकिन जाँच में पाया कि श्रीमती पूनम को पैन्शन का भुगतान enhanced rate पर ही दिनांक 31.3.13 तक किया गया था जो कि नियमों के विपरीत था एवं इस प्रकार दिनांक 31.3.13 तक ₹98111/– का अधिक भुगतान किया गया था। इसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ठ"** में दिया गया है। इसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचन संख्या 257 दिनांक 1.4.04 द्वारा दी गई थी लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

13 सामान्य भविष्य निधिः–

(1) सामान्य भविष्य निधि खातों को सत्यापित न करने बारेः–

सामान्य भविष्य निधि खातों की जाँच के दौरान पाया कि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा खाते का नियमित सत्यापन नहीं किया गया था। अतः प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते का नियमित सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

(2) सामान्य भविष्य निधि खातों का रख–रखाव अव्यवस्थित तरीके से रखने बारेः–

सामान्य भविष्य निधि खातों की जाँच के दौरान पाया कि इन खातों का रख–रखाव परिषद द्वारा अव्यवस्थित तरीके से किया गया था अर्थात कर्मचारियों के अंशदान की राशि एवं बकाया राशि का योग ठीक ढ़ंग से सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में प्रविष्टि नहीं किया गया था जिससे सामान्य भविष्य निधि खातो की बकाया राशि की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करते है गलत प्रविष्टियों का विवरण इस प्रकार से हैः–

Name of Employee	Month	Opening Balance	Subscirption	Actual Balance	Balance taken	Excess credit
श्रीमती चम्पा (चपड़ासी)	04/2010	17877	1102	18979	19518	539
श्री मदन लाल (चपड़ासी)	04/2010	24284	1414	25698	26698	1000
श्री मदन लाल (चपड़ासी)	10/2010	34735	2115	36850	38850	2000
श्री विकटर	09/2012	48655	2306	50961	56166	5205

अतः सामान्य भविष्य निधि खातों का रख रखाव ठीक ढ़ंग से एवं समय–2 एवं नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।

14 भण्डारः–

(1) स्ट्रीट लाईट के भण्डार रजिस्टरों में सामग्री कम दर्शाने बारेः–

स्ट्रीट लाईटें के भण्डार रजिस्टरों की जाँच के दौरान पाया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न सामग्री की बकाया मात्रा भण्डार रजिस्टर में कम दिखाई गई थी जिस कारण से नगर परिषद को हानि उठानी पड़ी। अतः इस सामग्री के मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। कम दिखाई गई सामग्री का ब्योरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री का नाम	पृ0सं0	दिखाई गई सामग्री की मात्रा	वास्तविक मात्रा	कम मात्रा
1	20.11.2010	Tube Rod 4"	7	12	14	2
2	24.2.09	Tube Rod 4"	65	81	85	4
3	03.10.09	Tube Rod 4"	70	72	73	1
4	19.5.10	Starter 20-40"	16	76	77	1
5	12.8.09	Starter 20-40"	15	22	24	2
6	12.1.12	Tube Rod 4"	5	123	124	1

(2) स्ट्रीट लाईट रजिस्टर का रख–रखाव सुनियोजित तरीके से न रखने बारेः–

परिषद के स्ट्रीट लाईट रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि नगर परिषद के पास कुल कितनी स्ट्रीट लाईटस है और न ही प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस का अलग से नम्बर दिया गया है। अतः स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव पर प्रतिवर्ष भारी व्यय किया जा रहा है। इस व्यय को न्यायसंगत बनाने के लिए प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के लिए अलग–2 नम्बर दिए जाएं एवं प्रत्येक स्ट्रीट लाईट के रख रखाव पर खर्च का ब्यौरा एक अलग रजिस्टर में अलग–2 रखा जाए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि एक स्ट्रीट लाईट के रख रखाव पर किसी सामग्री कितनी बार बदली गई जिससे प्रत्येक स्ट्रीट लाईट के रख रखाव पर पूरा नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाईट के रख रखाव के लिए खरीदी गई सामग्री को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः स्ट्रीट लाईट में दर्ज क्रय

का निर्गमन के पश्चात शेष सामग्री की मात्रा को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(3) MAS (material at sight) रजिस्टर में सामग्री कम दर्शाने बारेः–

उपरोक्त रजिस्टर की जाँच मे ंपाया कि निम्नलिखित सामग्री भण्डार रजिस्टर में कम दर्शाई गई थी। अतः इस सामग्री के मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। कम दिखाई गई सामग्री का विववरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री का नाम	पृ0सं0	दिखाई गई सामग्री की मात्रा	वास्तविक मात्रा	कम मात्रा
1	28.8.07	Red point	81	2 Kg	3 Kg	1 Kg
2	28.8.07	White wash	81	-	-	2 bag
3	01.03.09	White wash	82	45 Kg	65 Kg	20 Kg
4	01.06.09	Wire wash	143	21½ Kg	22½ Kg	1 Kg
5	26.7.08	Stone aggregate	14	2140CFT	2169 CFT	29 CFT

(4) कम सामग्री दर्शानें के फलस्वरूप ₹16025/– की वसूली बारेः–

MAS रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि निर्माण कार्य की विभिन्न सामग्री की मात्रा भण्डार में कम दर्शाई गई जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को ₹16025/– की हानि उठानी पड़ी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

कम दर्शाई गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 सामग्री का नामः–Sand, MAS पृष्ठ 1

Opening balance on 09.05.2012 75 CFT

	Purchase on 05/2012	150 CFT
	वास्तविक मात्रा	225 CFT
	MAS के पृष्ठ 1 में दशाई मात्रा	75 CFT
	कम मात्रा	150 CFT
		150x.02832=4.25 cum
	Rate	₹865 P.Cum
	कुल वसूली योग्य राशि	**4.25x865=₹3676**
2	सामग्री का नाम Sand MAS पृष्ठ 2	
	Opening balance on 08/2012	0.38 cum
	Purchase on 08/2012	9 cum
	कम मात्रा	0.38 cum
	Rate	₹865 P.Cum
	कुल वसूली योग्य राशि	**0.38x865=₹329**
3	सामग्री का नाम stone Aggregate 20MM MAS पृष्ठ 2	
	Opening balance on 08/2012	0.50 cum
	Purchase on 08/2012	4.00 cum
	वास्तविक मात्रा	4.50 cum
	MAS के पृष्ठ 2 में दर्शाई मात्रा कम मात्रा	4.00
	कम मात्रा	0.50 cum
	Rate	₹1450 P.Cum
	कुल वसूली योग्य राशि	**0.50.x1450=₹725**
4	सामग्री का नाम Sand, MAS पृष्ठ 6	
	Opening balance on 07/2013	3 Cum
	Purchase on 08/2013	5.5 cum
	वास्तविक मात्रा	8.5 cum

MAS के पृष्ठ 6 में दर्शाई मात्रा	5.5 cum
कम मात्रा	3 cum
Rate	₹865 P.Cum
कुल वसूली योग्य राशि	**3x865=₹2595**

5 सामग्री का नामः– stone Aggretae 20MM MAS पृष्ठ 6

Opening balance on 07/2013	6 cum
Purchase on 08/2013	5 cum
वास्तविक मात्रा	11 cum

MAS के पृष्ठ 6 में दर्शाई मात्रा	5 cum
कम मात्रा	6 cum
Rate	₹1450 p.Cum
कुल वसूली योग्य राशि	**6x1450=₹8700**

(5) NIQ में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा से दो–तीन गुणा अधिक मात्रा का क्रय करने के फलस्वरूप संविदकार को अनुचित लाभः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पत्र संख्या 655–687 दिनांक 20.6.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए निर्माण कार्य की सामग्री की दरें श्री अंकुश खन्ना, संविदाकार के पक्ष में निर्धारित की गई थी लेकिन वर्ष 2012–13 में NIQ में दर्शाई गई मात्रा से दो से तीन गुणा अधिक मात्रा का क्रय करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। इसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Name of Material	Quantity Mentimed in NIQ	Actual Supply in 2012-13	Rate
Sand	70 cum	83.30 cum	₹865 P cum
Stone Aggregate 20MM	50 cum	113.80 cum	₹1450 P. Cum
Undressed stone 9"x6"x6"	50 cum	162 cum	₹1250 Cum

जाँच में पाया कि सामग्री का क्रय एवं निर्गमन केवल कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा ही किया जाता है अर्थात कनिष्ठ अभियन्ता के कार्य पर किसी का भी नियन्त्रण नहीं था। अतः कार्य में पारदर्शिता के लिए सामग्री का क्रय व निर्गमन कम से कम नियानुसार तीन सदस्यों की कमेटी से किया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(6) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद के भण्डारण रजिस्टर में दर्शाई गई सामग्री का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था यह एक गम्भीर अनियमितता है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक के सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भोतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अविलम्ब स्टॉक का भौतिक सत्यापन कम से कम वार्षिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए जिसके परिणामों से इस विभाग को अवगत करवाया जाएं।

15 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :–** लेखाओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैराग्राफस, रोकड़ बही एवं भण्डारण रजिस्टर के ठीक रख रखाव की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

पृष्ठांकनसंख्याःV(39)2010–फिन(एल0ए0)खण्ड–3–4838–4840 दिनांक, 11.08.2014 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजिकृत :– (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

(3) वरिष्ठ महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–2

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

परिशिष्ट ''अ'' **पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित**

नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2013 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

क्र0 सं0	अवधि	पैरा नम्बर	विवरण
1	upto 31-03-1957		इस अवधि के पैरों पर कोई कार्यवाई नहीं की गई।
	04/59 से 03/60	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	04/60 से 09/61	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	10/61 से 06/63	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	07/63 से 06/65	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	07/65 से 10/66	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	12/67 से 11/68	2(1)	अनिर्णीत
2		2(2)	अनिर्णीत
3		6	अनिर्णीत
1	12/68 से 03/70	1	अनिर्णीत
2		2	अनिर्णीत
3		4	अनिर्णीत

4		5	अनिर्णीत
5		7	अनिर्णीत
6		8	अनिर्णीत
7		9	अनिर्णीत
8		10	अनिर्णीत
9		11	अनिर्णीत
10		12	अनिर्णीत
1	09/70 से 01/73	4	अनिर्णीत
2		8	अनिर्णीत
3		9	
1	1971–1972 और 1972–1973	1	अनिर्णीत
2		2	अनिर्णीत
3		3	अनिर्णीत
4		4	अनिर्णीत
5		5	अनिर्णीत
1	02/73 से 03/75	8(ए)	अनिर्णीत
2		9(ए)	अनिर्णीत
3		9(बी)	अनिर्णीत
4		9(सी)	अनिर्णीत
5		9(डी)	अनिर्णीत
6		9(ई)	अनिर्णीत

7	9(एफ)	अनिर्णीत
8	9(जी)	अनिर्णीत
9	9(एच) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
10	10(2)	अनिर्णीत
11	10(3)	अनिर्णीत
12	10(4)	अनिर्णीत
13	10(5)	अनिर्णीत
14	10(6)	अनिर्णीत
15	12(8)(सी)(2)	अनिर्णीत
16	12(8)(सी)(3)	अनिर्णीत
17	12(8)(सी)(4)	अनिर्णीत
18	12(8)(सी)(5)	अनिर्णीत
19	12(8)(सी)(6)	अनिर्णीत
20	12(8)(सी)(7)	अनिर्णीत
21	12(8)(सी)(8)	अनिर्णीत
22	12(8)(सी)(9)	अनिर्णीत
23	12(8)(सी)(10)	अनिर्णीत
24	12(8)(सी)(11)	अनिर्णीत
25	12(8)(सी)(12)	अनिर्णीत
26	12(8)(सी)(13)	अनिर्णीत
27	12(8)(सी)(14)	अनिर्णीत
28	12(8)(सी)(15)	अनिर्णीत
29	12(8)(सी)(16)	अनिर्णीत

30	12(8)(सी)(17)	अनिर्णीत
31	12(8)(सी)(18)	अनिर्णीत
32	12(8)(सी)(19)	अनिर्णीत
33	12(डी)(2)(3)	अनिर्णीत
34	12(ई)(5)	अनिर्णीत
35	12(ई)(7)	अनिर्णीत
36	12(ई)(9)	अनिर्णीत
37	12(ई)(11)	अनिर्णीत
38	12(ई)(12)	अनिर्णीत
39	12(ई)(14)	अनिर्णीत
40	12(ई)(15)	अनिर्णीत
41	12(ई)(16)	अनिर्णीत
42	12(ई)(18)	अनिर्णीत
43	12(ई)(19)	अनिर्णीत
44	12(ई)(20)	अनिर्णीत
45	12(एफ)(1)	अनिर्णीत
46	12(एफ)(2)	अनिर्णीत
47	12(एफ)(3)	अनिर्णीत
48	12(एफ)(4)	अनिर्णीत
49	12(एफ)(5)	अनिर्णीत
50	12(एफ)(6)	अनिर्णीत
51	12(एफ)(7)	अनिर्णीत
52	12(एफ)(8)	अनिर्णीत

53		12(एफ)(9)	अनिर्णीत
54		12(एफ)(10)	अनिर्णीत
55		12(एफ)(13)	अनिर्णीत
56		12(एफ)(14)	अनिर्णीत
57		12(जी)(2)	अनिर्णीत
58		13(जी)(3)	अनिर्णीत
59		13(जी)(4)	अनिर्णीत
60		13(जी)(5)	अनिर्णीत
61		13(जी)(6)	अनिर्णीत
62		13(जी)(7)	अनिर्णीत
63		17	अनिर्णीत
64		18(बी)(8) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
65		18(सी)(2)	अनिर्णीत

1	04/75 से 03/81	7(ए)(1 से 7) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
2		7(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
3		7(सी)	अनिर्णीत
4		8(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
5		8(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
6		8(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
7		8(4) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
8		8(6)	अनिर्णीत

9	8(8)	अनिर्णीत
10	8(10)	अनिर्णीत
11	8(14)	अनिर्णीत
12	8(20)(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
13	8(20)(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
14	8(26)	अनिर्णीत
15	8(28) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
16	8(29) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
17	8(31) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
18	9(10)(2)	अनिर्णीत
19	9(10)(3)	अनिर्णीत
20	9(10)(4)	अनिर्णीत
21	10(6)	अनिर्णीत
22	10(7)	अनिर्णीत
23	10(8)	अनिर्णीत
24	10(16)	अनिर्णीत
25	10(22)	अनिर्णीत
26	10(23)	अनिर्णीत
27	10(24)	अनिर्णीत
28	10(25)	अनिर्णीत
29	10(31)	अनिर्णीत
30	10(32)	अनिर्णीत
31	11(6) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत

32		11(7) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
33		12(1)	अनिर्णीत
34		12(2)	अनिर्णीत
35		12(3)	अनिर्णीत
36		15(2)	अनिर्णीत
37		20	अनिर्णीत
1	04/81 से 03/82	3(बी)	अनिर्णीत
2		9	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		11	अनिर्णीत
5		12(ए)	अनिर्णीत
6		12(जी)	अनिर्णीत
7		12(एच)	अनिर्णीत
8		17	अनिर्णीत
9		19(ए)	अनिर्णीत
10		22(डी)	अनिर्णीत
11		22(ई)	अनिर्णीत
1	04/82 से 03/83	6(बी)	अनिर्णीत
2		6(सी)	अनिर्णीत

3	6(जी)	अनिर्णीत
4	17(ए)	अनिर्णीत
5	17(बी)	अनिर्णीत
6	18(ए)	अनिर्णीत
7	18(बी)	अनिर्णीत
8	18(सी)	अनिर्णीत
9	19(ए)	अनिर्णीत
10	19(बी)	अनिर्णीत
11	19(सी)	अनिर्णीत
12	19(ई)	अनिर्णीत
13	19(एफ)	अनिर्णीत
14	19(के)	अनिर्णीत
15	19(एल)	अनिर्णीत
16	21	अनिर्णीत
17	23(2)	अनिर्णीत
18	23(3)	अनिर्णीत
19	23(6)	अनिर्णीत
20	23(7)	अनिर्णीत
21	23(8)	अनिर्णीत
22	23(9)	अनिर्णीत
23	23(10)	अनिर्णीत
24	23(11)	अनिर्णीत
25	23(12)	अनिर्णीत

26	23(13)	अनिर्णीत
27	23(14)	अनिर्णीत
28	23(15)	अनिर्णीत
29	23(16)	अनिर्णीत
30	23(17)	अनिर्णीत
31	23(18)	अनिर्णीत
32	23(19)	अनिर्णीत
33	23(20)	अनिर्णीत
34	23(21)	अनिर्णीत
35	23(22)	अनिर्णीत
36	23(23)	अनिर्णीत
37	23(24)	अनिर्णीत
38	23(25)	अनिर्णीत
39	23(26)	अनिर्णीत
40	23(27)	अनिर्णीत
41	23(28)	अनिर्णीत
42	23(29)	अनिर्णीत
43	23(30)	अनिर्णीत
44	23(31)	अनिर्णीत
45	23(32)	अनिर्णीत
46	23(33)	अनिर्णीत
47	23(34)	अनिर्णीत
48	23(35)	अनिर्णीत

49		23(36)	अनिर्णीत
50		23(37)	अनिर्णीत
51		23(38)	अनिर्णीत
52		23(39)	अनिर्णीत
53		23(40)	अनिर्णीत
54		23(41)	अनिर्णीत
55		23(42)	अनिर्णीत
56		23(43)	अनिर्णीत
57		23(44)	अनिर्णीत
58		23(47)	अनिर्णीत
59		23(49)	अनिर्णीत
60		23(50)	अनिर्णीत
61		23(51)	अनिर्णीत
62		23(52)	अनिर्णीत
63		26(डी)	अनिर्णीत
64		26(के)	अनिर्णीत
65		26(ओ)	अनिर्णीत
66		26(आर)	अनिर्णीत
67		26(टी)	अनिर्णीत
68		26(यू)	अनिर्णीत
1	04/83 से 03/85	12	अनिर्णीत

2		13(जी)	अनिर्णीत
3		13(एच)(5)	अनिर्णीत
4		13(एच)(6)	अनिर्णीत
5		13(एच)(7)	अनिर्णीत
6		13(एच)(8)	अनिर्णीत
7		13(एच)(9)	अनिर्णीत
8		13(एच)(10)	अनिर्णीत
9		13(के)	अनिर्णीत
10		13(आई)	अनिर्णीत
11		13(क्यू)	अनिर्णीत
12		13(आर)	अनिर्णीत
13		13(एस)	अनिर्णीत
14		13(टी)	अनिर्णीत
15		13(यू)	अनिर्णीत
16		13(वी)	अनिर्णीत
17		13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
18		13(वाय)	अनिर्णीत
19		15(सी)	अनिर्णीत
20		16(एल)	अनिर्णीत
1	04/85 से 03/86	9	अनिर्णीत
1	Examiner	2(ए)	अनिर्णीत

	Inspection note		
2		2(बी)	अनिर्णीत
3		2(सी)	अनिर्णीत
4		2(डी)	अनिर्णीत
5		2(ई)	अनिर्णीत
1	04／86 से 03／88	3(सी)	अनिर्णीत
2		7	अनिर्णीत
3		20	अनिर्णीत
1	04／88 से 03／91	3(2)	अनिर्णीत
2		3(3)	अनिर्णीत
3		8(घ)	अनिर्णीत
4		13(ख)	अनिर्णीत
5		13(घ)	अनिर्णीत
6		13(य)	अनिर्णीत
7		13(ङ)	अनिर्णीत
8		13(च)	अनिर्णीत
9		13(छ)	अनिर्णीत
10		14(ख)	अनिर्णीत
11		14(ख)(1)	अनिर्णीत

12		14(ख)(3)	अनिर्णीत
13		14(ग)(2)	अनिर्णीत
14		14(ज)	अनिर्णीत
15		14(ञ)	अनिर्णीत
16		14(5)(ग)	अनिर्णीत
17		15(ण)	अनिर्णीत
18		16(द)	अनिर्णीत
19		16(ण)	अनिर्णीत
20		17(2)(3)	अनिर्णीत
21		18(3)	अनिर्णीत
22		18(4)	अनिर्णीत
23		18(10)(बी)	अनिर्णीत

1	04/91 से 03/99	8	अनिर्णीत
2		9(1)	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		13(क)	अनिर्णीत
5		13(ख)	अनिर्णीत
6		13(ग)	अनिर्णीत
7		14(16)	अनिर्णीत
8		14(17)	अनिर्णीत
9		14(18)	अनिर्णीत

10		15(7)	अनिर्णीत
11		15(8)	अनिर्णीत
12		15(9)	अनिर्णीत
13		15(10)	अनिर्णीत
14		15(11)	अनिर्णीत
15		17	अनिर्णीत
16		18(4)	अनिर्णीत
17		18(5)	अनिर्णीत
18		18(6)	अनिर्णीत
19		19(1)	अनिर्णीत
20		19(2)	अनिर्णीत

1	04/99 से 03/2007	2(1)	अनिर्णीत
2		2(2)	अनिर्णीत
3		2(3)	अनिर्णीत
4		2(4)	अनिर्णीत
5		2(5)	अनिर्णीत
6		3(1)	अनिर्णीत
7		3(2)	अनिर्णीत
8		3(3)	अनिर्णीत
9		3(4)(1)	अनिर्णीत
10		3(4)(2)	अनिर्णीत

11	3(4)(3)	अनिर्णीत
12	3(4)(4)	अनिर्णीत
13	3(4)(5)	अनिर्णीत
14	3(4)(6)	अनिर्णीत
15	3(4)(7)	अनिर्णीत
16	3(4)(8)	अनिर्णीत
17	3(4)(9)	अनिर्णीत
18	3(4)(10)	अनिर्णीत
19	3(5)(1)	अनिर्णीत
20	3(5)(2)	अनिर्णीत
21	3(5)(3)	अनिर्णीत
22	3(6)	अनिर्णीत
23	3(6)(1)	अनिर्णीत
24	3(6)(2)	अनिर्णीत
25	3(6)(3)	अनिर्णीत
26	4(1)	अनिर्णीत
27	4(2)	अनिर्णीत
28	4(3)	अनिर्णीत
29	4(4)	अनिर्णीत
30	4(5)	अनिर्णीत
31	4(6)	अनिर्णीत
32	4(7)	अनिर्णीत
33	4(8)	अनिर्णीत

34	4(9)	अनिर्णीत
35	4(10)	अनिर्णीत
36	4(11)	अनिर्णीत
37	4(12)	अनिर्णीत
38	4(13)	अनिर्णीत
39	4(14)	अनिर्णीत
40	4(15)	अनिर्णीत
41	4(16)	अनिर्णीत
42	4(17)	अनिर्णीत
43	4(18)	अनिर्णीत
44	4(19)	अनिर्णीत
45	4(20)	अनिर्णीत
46	4(21)	अनिर्णीत
47	4(22)	अनिर्णीत
48	4(23)	अनिर्णीत
49	4(24)	अनिर्णीत
50	4(25)	अनिर्णीत
51	4(26)	अनिर्णीत
52	4(27)	अनिर्णीत
53	5(1)	अनिर्णीत
54	5(2)	अनिर्णीत
55	5(3) Recovered ₹98600/- from Smt. Lalita Sharma vide Cheque No. 176297	निर्णीत

	dt. 20.8.08, Hence Para settled	
56	5(4)	अनिर्णीत
57	5(5) Total recovery ₹8950 recovered form Sh. Pram ₹4650 vide G 8 56/77 dt. 21/5/12	आंशिक रूप से निर्णीत
58	5(6) Total recovery ₹8190 ₹3600 vide G 8 28/97 dt. 18.5.11	आंशिक रूप से निर्णीत
59	5(7)	अनिर्णीत
60	5(8) ₹300 recovered from Smt. Nirmal Kanta	निर्णीत
61	5(9)	अनिर्णीत
62	5(10)	अनिर्णीत
63	5(11) ₹3336/-has been recovered hence para settled	निर्णीत
64	5(12)	अनिर्णीत
65	6(1)	अनिर्णीत
66	6(2)	अनिर्णीत
67	6(3)	अनिर्णीत
68	6(4)	अनिर्णीत
69	6(5)	अनिर्णीत
70	6(6)	अनिर्णीत
71	6(7)	अनिर्णीत
72	6(8)	अनिर्णीत
73	6(9)	अनिर्णीत
74	6(10)	अनिर्णीत

75	6(11)	अनिर्णीत
76	6(12)	अनिर्णीत
77	6(13)	अनिर्णीत
78	6(14)	अनिर्णीत
79	6(15)	अनिर्णीत
80	7(1)	अनिर्णीत
81	7(2)	अनिर्णीत
82	7(3)	अनिर्णीत
83	7(4)	अनिर्णीत
84	7(5)	अनिर्णीत
85	7(6)	अनिर्णीत
86	7(7)	अनिर्णीत
87	7(8)	अनिर्णीत
88	7(9)	अनिर्णीत
89	7(10)	अनिर्णीत
90	7(11)	अनिर्णीत
91	7(12)	अनिर्णीत
92	7(13)	अनिर्णीत
93	8(1)	अनिर्णीत
94	8(2)	अनिर्णीत
95	8(3)	अनिर्णीत
96	8(4)	अनिर्णीत
97	8(5)	अनिर्णीत

98		9	अनिर्णीत
99		10(1)(1)	अनिर्णीत
100		10(1)(2)	अनिर्णीत
101		10(1)(3)	अनिर्णीत
102		10(1)(4)	अनिर्णीत
103		10(1)(5)	अनिर्णीत
104		10(1)(6)	अनिर्णीत
105		10(1)(7)	अनिर्णीत
106		10(1)(8)	अनिर्णीत
107		10(1)(9)	अनिर्णीत
108		10(1)(10)	अनिर्णीत
109		10(1)(11)	अनिर्णीत
110		10(1)(12)	अनिर्णीत
111		10(2)	अनिर्णीत
112		10(3)	अनिर्णीत
113		11	अनिर्णीत
1	04/2007 से 03/210	3 पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया	निर्णीत
2		4.1 (यथोपरि)	निर्णीत
3		4.2	अनिर्णीत
4		4.3	अनिर्णीत

5		4.4 पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया	निर्णीत
6		5	अनिर्णीत
7		6	अनिर्णीत
8		7	अनिर्णीत
9		7.1	अनिर्णीत
10		7.2	अनिर्णीत
11		7.3	अनिर्णीत
12	House of Sh. KK Mahajan	8	निर्णीत

गृह कर का निर्धारिण इस प्रकार किया गया 1.4.07 से 14.6.09=4368 PM 15.6.09 से 7.5.10=8000PM, 8.5.10 से next 15 years=16080PM

गृह कर की राशि	1.4.07 से 31.3.08=5890
	1.4.08 से 31.3.09=5890
	1.4.09 से 31.3.10=9778
	1.4.10 से 31.3.11=20700
	1.4.11 से 31.3.12=21600
	1.4.12 से 31.3.13=21600
	1.4.13 से 31.3.14=21600
	107058

इसके वसूली जी–8 नं0 12/29, 30, 31 दिनांक 12.3.14 ₹77358 एवं जी–8 43/5, 6, 7 दिनांक 30.03.13 ₹30000/– द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया।

13	8.1	अनिर्णीत
14	8.2	अनिर्णीत
15	8.2.1	अनिर्णीत
16	9	अनिर्णीत
17	9.1	अनिर्णीत
18	9.2	अनिर्णीत
19	9.3	अनिर्णीत
20	9.4	अनिर्णीत
21	9.5	अनिर्णीत
22	9.6	अनिर्णीत
23	9.7	अनिर्णीत
24	9.8	अनिर्णीत
25	9.9	अनिर्णीत
26	10	अनिर्णीत
27	11	अनिर्णीत
28	12	अनिर्णीत
29	13	आंशिक रूप से निर्णीत

निम्नलिखित सफाई कर्मचारियों से वसूली मार्च 2014 के वेतन से निम्न प्रकार से की गई थीः–

क्र0सं0	स0क0 का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली राशि	क्र0 सं0	स0क0 का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली राशि
1	श्री सुनील	1753	1000	9	श्री दीपू	202	202
2	श्रीमती सरीष्ठा	2104	1000	10	श्री राकेश	890	890
3	श्री परवेज	2485	1000	11	श्री अजय हाण्डा	4667	1000
4	श्री रमेश	4614	1000	12	श्री पवन	491	491
5	श्री अमर चन्द	703	703	13	श्री रणजीत	735	735
6	श्री संजय	249	249				
7	श्री संजीव	498	498				
8	श्री विजय	1743	1000				

उपरोक्त वसूलियों की पुष्टि कर ली गई है एवं शेष वसूलियाँ भी शीध्र करना सुनिश्चित करें ताकि पैरे का पूर्णरूप से समायोजन किया जा सके।

30	13.1	अनिर्णीत
31	13.2	अनिर्णीत
32	13.3	अनिर्णीत
33	13.4	अनिर्णीत
34	13.5	अनिर्णीत
35	13.6	अनिर्णीत

36	13.7	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया	निर्णीत
37	13.8		अनिर्णीत
38	13.9		अनिर्णीत
39	13.10		अनिर्णीत
40	14		अनिर्णीत
41	14.1		अनिर्णीत
42	14.2		अनिर्णीत
43	14.3		अनिर्णीत
44	14.4		अनिर्णीत
45	14.5		अनिर्णीत
46	14.6		अनिर्णीत
47	14.7	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया	निर्णीत
48	14.8		अनिर्णीत
49	14.9		अनिर्णीत
50	14.10		अनिर्णीत
51	14.11		अनिर्णीत
52	14.12		अनिर्णीत
53	14.13		अनिर्णीत
54	14.14		अनिर्णीत
55	14.15		अनिर्णीत
56	14.16		अनिर्णीत

57	14.17		अनिर्णीत
58	14.18		अनिर्णीत
59	14.19		अनिर्णीत
60	14.20		अनिर्णीत
61	14.21		अनिर्णीत
62	14.22		अनिर्णीत
63	14.23		अनिर्णीत
64	14.24		अनिर्णीत
65	14.25		अनिर्णीत
66	14.26		अनिर्णीत
67	14.27		अनिर्णीत
68	14.28		अनिर्णीत
69	14.29		अनिर्णीत
70	14.30	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया	निर्णीत
71	14.31		अनिर्णीत
72	14.32		अनिर्णीत
73	14.33		अनिर्णीत
74	14.34		अनिर्णीत
75	14.35		अनिर्णीत
76	14.36	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया	निर्णीत
77	14.37		अनिर्णीत

78	14.38		अनिर्णीत
79	14.39		अनिर्णीत
80	14.40	पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया	निर्णीत
81	14.41		अनिर्णीत
82	14.42		अनिर्णीत
83	14.43		अनिर्णीत
84	14.44		अनिर्णीत
85	14.45		अनिर्णीत
86	14.46		अनिर्णीत
87	14.47		अनिर्णीत
88	15		अनिर्णीत
89	15.1		अनिर्णीत
90	15.2		अनिर्णीत
91	15.3		अनिर्णीत
92	15.4		अनिर्णीत
93	15.5		अनिर्णीत
94	15.6		अनिर्णीत
95	15.7		अनिर्णीत
96	15.8		अनिर्णीत
97	15.8.1		अनिर्णीत
98	15.8.2		अनिर्णीत
99	15.8.3		अनिर्णीत

100	15.9	अनिर्णीत
101	15.10	अनिर्णीत
102	15.11	अनिर्णीत
103	15.12	अनिर्णीत
104	15.13	अनिर्णीत
105	15.14	अनिर्णीत
106	15.15	अनिर्णीत
107	16	अनिर्णीत
108	16.1	अनिर्णीत
109	17	अनिर्णीत
110	17.1	अनिर्णीत
111	17.2	अनिर्णीत
112	17.3	अनिर्णीत
113	17.4	अनिर्णीत